[2021] 11 एस. सी. आर. 468

सरबजीत सिंह मोखा

वी.

जिला मैजिस्ट्रेट, जबलपुर और ओआरएस।

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1301)

29 अक्टूबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, विक्रम नाथ

और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

भारत का संविधानः Art.22 (5)-विचाराधीन और बंदियों के लिए निवारक निरोध संरक्षण-आयोजितः Art.22 (5) आदेश देता है कि (i) आदेश देने वाला प्राधिकारी "जितनी जल्दी हो सके" उन आधारों को सूचित करेगा जिनके आधार पर आदेश हिरासत में लिए गए व्यक्ति को दिया गया है; और (ii) हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को "आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने का जल्द से जल्द अवसर" प्रदान करेगा-ये दोनों प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं पारस्परिक रूप से हैं

सुदृढ़ीकरण-हिरासत के आधारों के बारे में जल्द से जल्द संचार का उद्देश्य हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उस आधार के बारे में सूचित करना है जिसके आधार पर हिरासत का आदेश दिया गया है-अभिव्यक्ति "जितनी जल्दी हो सके" तत्कालता की आवश्यकता को दर्शाती है-संचार

आधार निरोध के आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए निरोध के अधिकार को सुविधाजनक बनाने में सहायता करता है Art.22 का महत्व यह है कि बंदी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन का जल्द से जल्द निपटान किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980: धारा 3 (4)-राज्य सरकार को प्रतिवेदन-आयोजितः एक बार निरोध का आदेश दिए जाने के बाद, आदेश देने वाले अधिकारी को तुरंत राज्य को इस तथ्य की सूचना देनी चाहिए।

सरकार, उन आधारों के साथ जिनके आधार पर आदेश दिया गया है और अन्य विवरण जिनका इस मामले पर असर है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980: धारा 8 (1)-निरोध के आधारों का संचार-तत्कालता की आवश्यकता-आयोजितः धारा 8 (1) "जितनी जल्दी हो सके" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है, इसे इस आवश्यकता के साथ अर्हता प्रदान करता है कि आधारों का संचार सामान्य रूप से बाद में नहीं किया जाना चाहिए। पाँच दिन से अधिक और, असाधारण परिस्थितियों में, निरोध की तारीख से दस दिन के बाद लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए - धारा 8 (1) कला की दूसरी आवश्यकता को भी मूर्त रूप देती है। 22 (5) बंदी को बनाने का सबसे पहला अवसर देने का

उचित सरकार को आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व

भारत का संविधान Art.22 (5)।

468 सरबजीत सिंह मोखा बनाम। जिला मैजिस्ट्रेट, जबलपुर और ओआरएस।

नजरबंदी के आधारों का संचार और उपयुक्त सरकार को इस तरह के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति को एक अवसर प्रदान करना, सलाहकार बोर्ड के संदर्भ से अलग है-तत्काल मामले में, सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति की प्रतीक्षा करने के बावजूद, जो अंततः 15 जून 2021 को जारी की गई थी, राज्य सरकार ने 18 मई 2021 को अपीलार्थी के प्रतिनिधित्व पर निर्णय पर पहुंचने में एक और महीने का समय लिया-प्रतिनिधित्व पर अपने निर्णय में देरी करके, राज्य सरकार बंदी को उस मूल्यवान अधिकार से वंचित करती है जो एस के प्रावधानों से उत्पन्न होता है। 8 (1) प्रतिनिधित्व पर शीघ्रता से विचार किया जाना-हिरासत में लिए गए व्यक्ति को हिरासत के आधार के बारे में "जितनी जल्दी हो सके" सूचित करना और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उचित सरकार को हिरासत के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का जल्द से जल्द अवसर देना यह सुनिश्चित करने के लिए है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर उपयुक्त सरकार द्वारा तत्काल विचार किया जाए।

राज्य सरकार ऐसा करने में विफल रही-सलाहकार बोर्ड को निर्देश देना राज्य सरकार के लिए प्रतिनिधित्व के साथ स्वतंत्र रूप से जल्द से जल्द व्यवहार नहीं करने का कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं कर सकता था-राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व का निपटान करने में और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इस तरह की अस्वीकृति को संप्रेषित करने में देरी, प्रक्रियात्मक अधिकारों और नजरबंदियों को दी गई गारंटी के केंद्र में हमला करती है-कानून एनएसए के तहत कार्यपालिका को दी गई व्यापक शक्तियों को संतुलित करने के लिए इस तरह के प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का प्रावधान करता है-राज्य सरकार इस अदालत से किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए व्यक्तिपरक संतुष्टि की अपनी शक्तियों को बनाए रखने की उम्मीद नहीं कर सकती है, जबकि इस अदालत से किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने की प्रक्रियात्मक गारंटी का उल्लंघन करते हुए जो संविधान में निहित निवारक निरोध के कानूनों के लिए मौलिक हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980: प्रतिनिधित्व पर निर्णय को संप्रेषित करने में विफलता-Art.22 (4), बंदी को प्रतिनिधित्व करने के अधिकार की गारंटी देने में, इस अधिकार को सार्थक बनाने के लिए राज्य तंत्र पर एक संबंधित कर्तव्य पैदा करता है-बंदी का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार और इसके लिए शीघ्रता से विचार किया जाना, बंदी के बिना खोखला हो जाएगा कि वह अपने प्रतिनिधित्व की स्थिति पर उपयुक्त सरकार से समय पर संचार प्राप्त कर सके-चाहे वह स्वीकृति हो या अस्वीकृति [2021] 11 एस. सी. आर.

प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति के समय पर संचार में विफलता इस देरी को निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक कारक है कि बंदी को Art.22 (5) के तहत संरक्षित किया जाता है-केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अपीलार्थी की अस्वीकृति को सूचित करने में विफलता

समयबद्ध तरीके से प्रतिनिधित्व निरोध के आदेश को दूषित करने के लिए पर्याप्त है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. प्रतिनिधित्व करने का अधिकारः एन. एस. ए. की संवैधानिक सुरक्षा और विधायी योजना

1.1 संविधान के अनुच्छेद 22 (5) में कहा गया है कि (i) आदेश देने वाला प्राधिकारी "जितनी जल्दी हो सके"

उन आधारों को सूचित करें जिनके आधार पर हिरासत में लिए गए व्यक्ति को आदेश दिया गया है; और (ii) हिरासत में लिए गए व्यक्ति को "आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने का जल्द से जल्द अवसर" प्रदान करेगा। अनुच्छेद 22 का खंड 5

एक दोहरी आवश्यकता शामिल हैः पहला, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को जितनी जल्दी हो सके हिरासत के आधारों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता; और दूसरा, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जल्द से जल्द जवाब देना। प्रतिनिधित्व करने का अवसर। ये दोनों प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ पारस्परिक रूप से मजबूत हैं। हिरासत के आधारों के बारे में जल्द से जल्द सूचना देना अभिप्रेत है।

जिस आधार पर निरोध का आदेश दिया गया है, उसका निरोध। "जितनी जल्दी हो सके" अभिव्यक्ति तत्कालता की आवश्यकता को दर्शाती है। [पैरा 21] [491-ई-एफ; 492-ए] 1.2 आधारों का संचार बंदी के खिलाफ अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के अधिकार को सुविधाजनक बनाने में सहायता करता है

निरोध का आदेश। आधारों के अभाव में

सूचित किया जाए तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उन कारणों के संबंध में अंधेरे में छोड़ दिया जाएगा जिनके कारण हिरासत का आदेश दिया गया है। द. आधारों के संचार के साथ-साथ प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करने के लिए संवैधानिक प्रावधान जो महत्व देता है, वह आधारों को संप्रेषित करने और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जल्द से जल्द अनुमति देने के संबंध में पहले भाग में "जितनी जल्दी हो सके" अभिव्यक्ति के उपयोग से स्पष्ट है।

प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के अधिकार का लाभ उठाने का अवसर। अनुच्छेद 22 (5) संविधान निर्माताओं के प्रति गहरी जागरूकता को दर्शाता है कि निवारक निरोध से किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के हिरासत में लिया जाता है और इसलिए, इसमें प्रक्रियात्मक सरबजीत सिंह मोखा बनाम को शामिल किया गया है।

जिला मैजिस्ट्रेट, जबलपुर और ओआरएस।

सुरक्षा उपाय जो समय के संदर्भ में तत्कालता को अनिवार्य करते हैं। अनुच्छेद 22 का महत्व यह है कि बंदी द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन का जल्द से जल्द निपटारा किया जाना चाहिए। नज़रबंदी के आधारों की सूचना, जितनी जल्दी हो सके

हो सकता है, और निरोध के आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए जल्द से जल्द अवसर प्रदान करने का कोई मतलब नहीं होगा

संवैधानिक महत्व तब तक है जब तक कि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी प्रतिनिधित्व से संबंधित नहीं है और अभियान के साथ अपने निर्णय को सूचित नहीं करता है। [पैरा 22] [492-बी-ई] 1.3 एन. एस. ए. के प्रावधान अनुच्छेद 22 (5) के अधिदेश की सदस्यता लेते हैं। धारा 3 (4) में एक आवश्यकता है कि एक बार निरोध का आदेश दिए जाने के बाद, आदेश देने वाले अधिकारी को तुरंत राज्य सरकार को उन आधारों के साथ इस तथ्य की रिपोर्ट करनी चाहिए, जिन पर आदेश दिया गया है और अन्य विवरण जिनका इस मामले पर असर पड़ता है। ऐसा कोई भी आदेश बारह दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं रहना चाहिए, जब तक कि इसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो। इस बीच, यह अवधि उस परंतुक के अधीन है जिसमें कहा गया है कि जहां अधिकारी द्वारा निरोध के आधार को पांच दिनों के बाद (धारा 8 के तहत) सूचित किया जाता है, लेकिन निरोध की तारीख से दस दिनों के बाद नहीं, उप-धारा (4) लागू होगी जैसे कि पंद्रह दिन शब्द बारह दिनों के लिए प्रतिस्थापित किए गए हैं। राज्य के बारे में

सरकार या तो धारा 3 के तहत आदेश बना रही है या उसे मंजूरी दे रही है, यह धारा 3 (5) के तहत सात दिनों के भीतर केंद्र सरकार को इस तथ्य की रिपोर्ट करने के लिए एक अधिदेश के तहत है।

जिन आधारों पर आदेश दिया गया है और अन्य आवश्यक विवरण। [पैरा 23] [492-ई-एच]

1.4 धारा 10 के तहत, उपयुक्त सरकार को उन आधारों को रखना होगा जिन पर व्यक्ति को हिरासत में लेने की तारीख से तीन दिनों के भीतर हिरासत का आदेश दिया गया है। आदेश से प्रभावित व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, के साथ। धारा 11 के प्रावधानों के तहत सलाहकार बोर्ड को संबंधित सामग्री पर विचार करने के बाद निरोध आदेश की तारीख से सात सप्ताह के भीतर उपयुक्त सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। यह उपयुक्त सरकार, या किसी भी व्यक्ति, या यहां तक कि संबंधित व्यक्ति से आगे की जानकारी के लिए कॉल कर सकता है यदि वे व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर चाहते हैं। [पैरा 25] [494-ए-बी] [2021] 11 एस. सी. आर.

1.5 जब सलाहकार बोर्ड ने बताया है कि उसकी राय में किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने का पर्याप्त कारण है, तो उपयुक्त सरकार हिरासत के आदेश को मंजूरी दे सकती है और उस व्यक्ति को उस अवधि के लिए हिरासत में रख सकती है जो वह उचित समझती है। दूसरी ओर, जहाँ सलाहकार बोर्ड रिपोर्ट करता है

कि उसकी राय में निरोध के लिए अपर्याप्त कारण है, उपयुक्त सरकार निरोध आदेश को रद्द कर देगी और व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दें। खंड (क) के संदर्भ में

और (ख) धारा 14 की उप-धारा (1) के राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास किसी आदेश को निरस्त करने की शक्ति है।

हिरासत में लेना। [पैरा 27,29] [494-एफ; 495-ई]

2. प्रतिनिधित्व पर विचार करने में देरी

2.1 निरोध के आधारों के प्रकटीकरण और संचार की धारा 8 के तहत आवश्यकता और

हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उचित सरकार को इस तरह के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अवसर, सलाहकार बोर्ड के संदर्भ से अलग है। [पैरा 33] [496-सी-डी]

जयनारायण सुकुल बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (1970) 1 एससीसी 219: [1970] 3 एस. सी. आर. 225; हरधन साहा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1975) 3 एससीसी 198: [1975] 1 एससीआर 778; के. एम. अब्दुल्ला कुन्ही बनाम भारत संघ (1991) 1 एससीसी

476 : [1991] 1 एस. सी. आर. 102-अनुसरण किया गया

फ्रांसेस कोरली मुलिन बनाम। डब्ल्यू. सी. खम्ब्रा (1980) 2 एस. सी. सी. 275: [1980] 2 एस. सी. आर. 1095; हरीश पाहवा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1981) 2 एससीसी 710: [1981] 3 एस. सी. आर. 276; मोहिनुद्दीन बनाम। जिला मजिस्ट्रेट, बीड और अन्य

(1987) 4 एससीसी 58: [1987] 3 एससीआर 668; अंकित अशोक जालान बनाम। भारत संघ (2020) 16 एससीसी 127: [2020] 2 एससीआर 1047; हाजी मोहम्मद। अखलाक बनाम। जिला मजिस्ट्रेट

1988 सप. एस. सी. सी. 538,540-पर निर्भर था।

2.2 वर्तमान अपील में, निरोध का आदेश 11 मई 2021 को पारित किया गया था और अपीलार्थी को 12 मई 2021 को हिरासत में लिया गया था।

13 मई 2021 को राज्य सरकार द्वारा निरोध के आदेश को मंजूरी दी गई थी, जिस पर राज्य सरकार ने उसी दिन केंद्र सरकार को निरोध का आदेश प्रस्तुत किया था। 18 मई 2021 को, बंदी ने एक साथ सरबजीत सिंह मोखा बनाम प्रस्तुत किया।

जिला मैजिस्ट्रेट, जबलपुर और ओआरएस।

जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व था

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 20 मई 2021 को राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सूचित किया गया। अपीलार्थी के अनुसार, डाक और टेलीग्राफ विभाग के रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि 24 मई 2021 को केंद्र सरकार पर सेवा लागू की गई थी। हालांकि, केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि यह 1 जून 2021 को संबंधित धारा में प्राप्त हुआ था। [पैरा 41] [503-एफ-जी]

2.3 2 जून 2021 को केंद्र सरकार ने पैरा मांगा।

हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की बुद्धिमान टिप्पणी। जिला मजिस्ट्रेट ने 10 जून 2021 को टिप्पणियां भेजीं जो 11 जून 2021 को प्राप्त हुईं। जिला मजिस्ट्रेट की टिप्पणियों के साथ 18 मई 2021 को अपीलार्थी द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर 14 जून 2021 को केंद्रीय गृह सचिव द्वारा विचार के लिए कार्रवाई की गई थी। 24 जून 2021 को, केंद्रीय गृह सचिव ने प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया

अपीलार्थी, जिसे कथित तौर पर 28 जून 2021 को बंदी को एक वायरलेस संदेश द्वारा सूचित किया गया था। 18 मई 2021 के अभ्यावेदन पर विचार करने में केंद्र सरकार की ओर से डेढ़ महीने की देरी हुई और

केवल 24 जून 2021 को इसे अस्वीकार कर दिया। [पैरा 42] [504-ए-सी]

2.4 अपीलार्थी ने 18 मई 2021 को राज्य सरकार को निरोध के आदेश के खिलाफ एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया था। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 12 अगस्त 2021 को उच्च न्यायालय के समक्ष एक अतिरिक्त जवाब दायर किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट को 18 मई 2021 को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ,

20 मई 2021 को इसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सूचित किया। सलाहकार मंडल के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया। जब तक 15 पर सलाहकार बोर्ड द्वारा प्रतिनिधित्व को खारिज नहीं कर दिया गया था

जून 2021 में, राज्य सरकार द्वारा 18 मई 2021 को अपीलार्थी के अभ्यावेदन से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे। इस न्यायालय के समक्ष जिला मजिस्ट्रेट के जवाबी-हलफनामे के साथ-साथ ए. ए. जी. द्वारा प्रदान की गई लिखित दलीलों में, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिनिधित्व को राज्य द्वारा खारिज कर दिया गया था।

15 जुलाई 2021 को सरकार। हालाँकि, इस न्यायालय को न तो इस तरह की अस्वीकृति की प्रति या [2021] 11 एस. सी. आर. का प्रमाण प्रदान किया गया है।

अपीलार्थी के प्रतिनिधित्व पर विचार करने में लगभग 60 दिन की देरी के लिए। [पैरा 43,44] [504-सी-डी, जी-एच; 505-ए-सी] 2.5 उन परिस्थितियों को समझाने का कोई उचित आधार नहीं है जिसमें 18 मई 2021 के अभ्यावेदन पर राज्य सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया था।

सलाहकार बोर्ड ने 15 जून 2021 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व पर विचार सलाहकार बोर्ड के संदर्भ से गुणात्मक रूप से अलग है। इस अदालत में अंकित अशोक जालान ने कहा था कि राज्य सरकार इससे पहले सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट का इंतजार करने के लिए बाध्य नहीं है प्रतिनिधित्व का निर्णय लेना और इसे यथासंभव शीघ्रता से करना चाहिए। सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति की प्रतीक्षा करने के बावजूद, जो अंततः 15 जून 2021 को जारी की गई थी, राज्य सरकार को एक और महीने का समय लगा।

2.6 प्रतिनिधित्व पर अपने निर्णय में देरी करके, राज्य सरकार ने बंदी को मूल्यवान अधिकार से वंचित कर दिया जो अभ्यावेदन पर शीघ्रता से विचार किए जाने की धारा 8 (1) के प्रावधानों से निकलता है। द.

बंदी को "जितनी जल्दी हो सके" निरोध के आधारों के बारे में सूचित करना और बंदी को आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने का सबसे पहला अवसर प्रदान करना।

उपयुक्त सरकार को हिरासत में रखने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपयुक्त सरकार द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर तत्काल विचार किया जाए। राज्य सरकार ऐसा करने में विफल रही। सलाहकार बोर्ड को संदर्भ देने से राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व से निपटने के लिए कोई औचित्य नहीं मिल सकता था। स्वतंत्र रूप से जल्द से जल्द। राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व के निपटारे में और केंद्र और राज्य द्वारा देरी

सरकार इस तरह की अस्वीकृति को संप्रेषित करने में, बंदी को दिए गए प्रक्रियात्मक अधिकारों और गारंटी के केंद्र में हमला करती है। कानून एनएसए के तहत कार्यपालिका को दी गई व्यापक शक्तियों को संतुलित करने के लिए इस तरह के प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का प्रावधान करता है।

राज्य सरबजीत सिंह मोखा बनाम। जिला मैजिस्ट्रेट, जबलपुर और ओआरएस।

सरकार यह उम्मीद नहीं कर सकती कि यह न्यायालय अपनी शक्तियों को बनाए रखेगा

किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए व्यक्तिपरक संतुष्टि, जबकि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की प्रक्रियात्मक गारंटी का उल्लंघन करते हुए जो संविधान में निहित निवारक निरोध के कानूनों के लिए मौलिक हैं। [पैरा 46] [505-एफ-एच; 506-ए-बी]

3. प्रतिनिधित्व पर निर्णय को संप्रेषित करने में विफलता

3.1 प्रत्यर्थी केंद्र सरकार द्वारा अभ्यावेदन की अस्वीकृति की अपीलार्थी की प्राप्ति का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका

दिनांक 24 जून 2021। केंद्र के गृह मंत्रालय से 28 जून 2021 को जारी किया गया वायरलेस संदेश

सरकार ने राज्य सरकार के गृह विभाग को बंदी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन की अस्वीकृति के बारे में सूचित किया। केन्द्रीय कारागार, जबलपुर के एस. पी. को बंदी के लिए एक प्रति देने का निर्देश दिया गया था। राज्य सरकार थी

बंदी को सूचित करने का भी निर्देश दिया। हालाँकि मूल रूप से दायर की गई रिट याचिका में, इस बात का कोई विशिष्ट आधार नहीं था कि अभ्यावेदन की अस्वीकृति को बंदी को सूचित नहीं किया गया था, लेकिन प्रत्युत्तर में उस प्रभाव का एक विशिष्ट आधार उठाया गया था। उच्च न्यायालय में दायर किया गया। इस बात का संकेत देने के लिए कोई सामग्री तुरंत नहीं आ रही है कि

केंद्र सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व को बंदी को सूचित कर दिया गया था। [पैरा 47] [506-डी-एफ] 3.2 अनुच्छेद 22 (4), बंदी को प्रतिनिधित्व करने के अधिकार की गारंटी देने में, समझ में आता है कि

इस अधिकार को सार्थक बनाने के लिए राज्य तंत्र पर संबंधित कर्तव्य। हिरासत में लिए गए व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार और उस पर शीघ्रता से विचार करने का अधिकार खोखला हो जाएगा, क्योंकि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में उपयुक्त सरकार से समय पर सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।

प्रतिनिधित्व-चाहे वह स्वीकृति हो या अस्वीकृति। [पैरा 49] [507-बी-सी]

पंजाब राज्य बनाम। सुखबीर सिंह (1990) 1 एस. सी. सी. 35: [1989] 1 पूरक। एस. सी. आर. 420; मदन लाल आनंद बनाम संघ भारत सरकार (1990) 1 एस. सी. सी. 81: [1989] 1 पूरक। एससीआर 733 -

पर भरोसा किया।

भारत संघ बनाम। सलीना (2016) 3 एससीसी 437: [2016] 1

एससीआर 373-लागू नहीं होने योग्य [2021] 11 एससीआर।

3.3 ए. ए. जी. ने राज्य सरकार या केंद्र सरकार को सूचित करने में विफलता का कोई कारण नहीं बताया है।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन की अस्वीकृति। प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति के समय पर संचार में यह विफलता उस देरी को निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक कारक है जिसके खिलाफ बंदी को अनुच्छेद 22 (5) के तहत संरक्षित किया जाता है। तदनुसार, निरोध का आदेश दो आधारों पर अमान्य हैः सबसे पहले, आंशिक रूप से अस्पष्टीकृत देरी

अपीलार्थी के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने में राज्य सरकार की विफलता और दूसरा, केंद्र और राज्य सरकारों की अपीलार्थी को समय पर प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति के बारे में सूचित करने में विफलता। एक बार हिरासत का आदेश

अमान्य हो जाता है, परिणामी विस्तार उसी पाठ्यक्रम का पालन करेंगे। [पारस 54,55] [509-एफ-जी; 510-ए-सी]

अंकित अशोक जालान बनाम। भारत संघ 2020 (16) एस. सी. सी. 127 [2020] 2 एस. सी. आर. 1047; हरीश पाहवा बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य 1981 (2) एससीसी 710: [1981] 3 एस. सी. आर. 276; राज किशोर प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1982 (3) एस. सी. सी. 10; वसीउद्दीन अहमद बनाम। जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ 1981 (4) एस. सी. सी. 521: [1964] 8 एससीआर 295; बीरेन दत्ता बनाम। त्रिपुरा ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 596 के मुख्य आयुक्त; खाजा बिलाल

अहमद बनाम। तेलंगाना राज्य 2020 (13) एससीसी 632; अंशुल जैन बनाम। मध्य प्रदेश राज्य का डब्ल्यूपी सं. 1118

2021 ; घनश्याम उपाध्याय बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य 2020 (16) एस. सी. सी. 811; तनवीर पटेल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2020 एससीसी ऑनलाइन एमपी 2021; खाजा बिलाल

(1985) 4 एस. सी. सी. 232; लक्ष्मण खटिक बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (1974) 4 एस. सी. सी. 1; यमन ओंगबी लेम्बी लीमा बनाम। मणिपुर राज्य (2012) 2 एससीसी 176: [2012] 1 एस. सी. आर. 1; रामेश्वर शॉ बनाम जिला मजिस्ट्रेट बर्दवान एयर

1964 एससी 334: [1964] 4 एससीआर 921; रामवीर जाटव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1986) 4 एस. सी. सी. 726; विजय नारायण सिंह बनाम। बिहार राज्य (1984) 3 एससीसी 14: [1984] 3 एस. सी. आर. 435; पी. पी. रूखिया बनाम। संयुक्त सचिव (2019) 20 एस. सी. सी. 740; पेबाम निंगोल मिकोई देवी बनाम।

मणिपुर राज्य 2010 अरबजीत सिंह मोखा बनाम। जिला मैजिस्ट्रेट, जबलपुर और ओआरएस।

(9) एससीसी 618: [2010] 12 एस. सी. आर. 429; राजेन्द्र सिंह बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य 2007 (7) एससीसी 378: [2007] 8

एस. सी. आर. 834; मोहिंदर सिंह गिल बनाम। मुख्य चुनाव

आयुक्त, नई दिल्ली (1978) 1 एससीसी 405: [1978] 2

एस. सी. आर. 272; रामेश्वर शाह बनाम जिला मजिस्ट्रेट

[1964] 4 एस. सी. आर. 921; पंजाब राज्य बनाम सुखपाल सिंह

(1990) 1 एससीसी 35: [1989] 1 पूरक। एससीआर 420; पेबाम

निंगोल मिकोई देवी बनाम। मणिपुर राज्य (2010) 9 एससीसी

618 [2010] 12 एस. सी. आर. 429; तमिलनाडु राज्य बनाम। नाबिला

(2015) 12 एससीसी 127: [2014] 12 एससीआर 405; सुभाष

भंडारी बनाम। जिला मजिस्ट्रेट (1987) 4 एस. सी. सी. 685:

[1988] 1 एससीआर 773; डेविड पैट्रिक वार्ड बनाम। संघ का

भारत (1992) 4 एससीसी 154: [1992] 1 पूरक। एससीआर 26;

शफीक अहमद बनाम। जिला मजिस्ट्रेट (1989) 4 एस. सी. सी. 556

: [1989] 1 पूरक। एस. सी. आर. 56-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(3) एससीसी 10

पैरा 14 (iii)

संदर्भित किया गया है

पैरा 14 (iii)

संदर्भित किया गया है

4] 8 एससीआर 295

पैरा 14 (v)

1965 एससी 596

संदर्भित किया गया है

(13) एस. सी. सी. 632

पैरा 14 (v)

संदर्भित किया गया है

(16) एस. सी. सी. 811

पैरा 14

(viii)

संदर्भित किया गया है

(13) एस. सी. सी. 632

पैरा 14 (ix)

संदर्भित किया गया है

7] 4 एससीआर 52

पैरा 14 (ix)

संदर्भित किया गया है

पैरा 14 (ix)

5) 4 एससीसी 232

संदर्भित किया गया है

पैरा 14 (ix)

4) 4 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 14 (ix)

2] 1 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 14 (ix)

4] 4 एससीआर 921

संदर्भित किया गया है

पैरा 14 (x)

5) 4 एस. सी. सी. 726

संदर्भित किया गया है

पैरा 14 (x)

4] 3 एससीआर 435

संदर्भित किया गया है

पैरा 14 (xi)

संदर्भित किया गया है

[202

1] 11 एस.

[2010] 12 एससीआर 429

संदर्भित किया गया है

पैरा

14

[2007] 8 एससीआर 834

संदर्भित किया गया है

पैरा

14

[1978] 2 एससीआर 272

संदर्भित किया गया है

पैरा

14

[1964] 4 एससीआर 921

संदर्भित किया गया है

पैरा

15 (

[1989] 1 पूरक। एससीआर 420

संदर्भित किया गया है

पैरा

15 (

[2010] 12 एससीआर 429

संदर्भित किया गया है

पैरा

15 (

[2014] 12 एससीआर 405

संदर्भित किया गया है

पैरा

15

[1988] 1 एससीआर 773

संदर्भित किया गया है

पैरा

15

[1992] 1 पूरक। एससीआर 26

संदर्भित किया गया है

पैरा

15

[1989] 1 पूरक। एससीआर 56

संदर्भित किया गया है

पैरा

15

[1970] 3 एससीआर 225

पीछा किया।

पैरा

33

[1975] 1 एससीआर 778

पीछा किया।

पैरा

34

[1980] 2 एससीआर 1095

उस पर भरोसा करें

पैरा

35

[1991] 1 एससीआर 102

पीछा किया।

पैरा

35

[1981] 3 एससीआर 276

उस पर भरोसा करें

पैरा

37

[1987] 3 एससीआर 668

उस पर भरोसा करें

पैरा

38

[2020] 2 एससीआर 1047

उस पर भरोसा करें

पैरा

39

(1988) सप. एस. सी. सी. 538

उस पर भरोसा करें

पैरा

40

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक ए

2021 का No.1301।

उच्च न्यायालय के 24.08.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

मध्य प्रदेश की बेंच, 2021 के WP No.10085 में इंदौर में।

सिद्धार्थ लूथरा, सीनियर एड. , अश्विनी कुमार दुबे, मनीष के.

अपीलार्थी की ओर से अक्षत कुमार, लक्ष्य मेहता, सुश्री अंकिता तिवारी, मयंक नागर।

सौरभ मिश्रा, ए. ए. जी., सुश्री अंकिता चौधरी, डिप्टी गवर्नर। एजी, एस

चौधरी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सरबजीत सिंह मोखा बनाम। जिला मैजिस्ट्रेट, जबलपुर और ओआरएस।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

ए.

तथ्य।

..... 3

..... 9

बी वकील की प्रस्तुतियाँ।

प्रतिनिधित्व करने का अधिकारः संवैधानिक

एस.

एनएसए की सुरक्षा और विधायी योजना। 17

विश्लेषण करें।

डी.

..... 25

डी. 1

प्रतिनिधित्व पर विचार करने में देरी। 25

डी. 2 पर निर्णय को संप्रेषित करने में विफलता

प्रतिनिधित्व।

..... 38

ई निष्कर्ष।

..... 43

1. 24 अगस्त 2021 के एक निर्णय द्वारा, एक डिवीजन बेंच ने

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 1 की धारा 3 (2) के तहत अपीलार्थी के खिलाफ पारित निरोध आदेश को चुनौती देने वाली भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका को खारिज कर दिया। बंदी अपील में है।

एक तथ्य 2.
अपीलार्थी जबलपुर के सिटी अस्पताल का निदेशक है। 10 पर

मई 2021 में, पुलिस स्टेशन ओमती में प्राथमिकी संख्या 252/2021 दर्ज की गई थी। जबलपुर भारत दंड संहिता 1860 की धारा 274,275,308,420 और 120 बी के तहत; आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 53 और महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत। अपीलार्थी को 26 मई 2021 को प्राथमिकी के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। जाँच के बाद, ए

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 3 की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट 6 अगस्त 2021 को प्रस्तुत की गई थी। अपीलार्थी के खिलाफ आरोप यह है कि उसने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर नकली रेमेडिसविर इंजेक्शन खरीदे जो कोविड-19 महामारी के दौरान रोगियों को अवैध लाभ कमाने के लिए दिए गए थे जिससे आम जनता का जीवन खतरे में पड़ गया था।

3. 12 मई 2021 को, अपीलार्थी को इसके अनुसरण में हिरासत में लिया गया था

एनएसए की धारा 3 (2) के तहत 11 मई 2021 को तीन महीने की अवधि के लिए हिरासत में रखने का आदेश।

1 " एनएसए "

2 " आई. पी. सी "

वे बनाए गए थे और उस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 10 मई 2021 को, अपीलार्थी के स्वामित्व वाले अस्पताल में फार्मेसी चलाने वाले देवेश चौरसिया नाम के एक सह-अभियुक्त का सीआरपीसी की धारा 161 के तहत बयान इस प्रभाव से दर्ज किया गया था कि अपीलार्थी ने बिना बिल के नकली रेमेडिसविर इंजेक्शन खरीदे थे। कहा जाता है कि अपीलार्थी ने इंदौर के प्रखर कोहली नाम के एक व्यक्ति के माध्यम से इंजेक्शन एकत्र किए थे, जिसने एक ट्रांसपोर्टर के माध्यम से डिब्बे भेजे थे। जिसे अंबा ट्रेवल्स कहा जाता है। कहा जाता है कि नकली रेमेडिसविर इंजेक्शन 30 अप्रैल को सिटी अस्पताल में 50 रोगियों को दिए गए थे

2021. 10 मई 2021 को दर्ज सीआरपीसी की धारा 161 के तहत अपने बयान में, प्रखर कोहली ने कहा कि अपीलार्थी के बेटे ने 21 अप्रैल 2021 को उसे नकली रेमेडिसविर इंजेक्शन इंदौर से जबलपुर भेजने के लिए कहा था। प्रखर कोहली को उस संबंध में अपीलार्थी से बात करने के लिए कहा गया। कहा जाता है कि प्रखर कोहली ने नकली इंजेक्शन भेजे थे।

5. 11 मई 2021 को जबलपुरा के पुलिस अधीक्षक ने जिला मजिस्ट्रेट से अपीलार्थी के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। एनएसए के तहत। एसपी ने अपीलार्थी के खिलाफ आरोपों को दोहराया

कोविड-19 रोगियों को नकली रेमेडिसविर इंजेक्शन खरीदने और देने के लिए। अपीलार्थी पर आरोप है कि उसने 500 इंजेक्शन खरीदे हैं जिनकी कीमत Rs.15 लाख है। एसपी ने कहा कि समाचार पत्रों ने व्यापक रूप से

उसने बताया कि अपीलार्थी के कार्यों के बाद सार्वजनिक आक्रोश था, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की संभावना थी। इसके बाद

एसपी की सिफारिश पर, जिला मजिस्ट्रेट ने 11 मई 2021 को एनएसए की धारा 3 (2) के तहत एक आदेश पारित किया, जिसमें अपीलार्थी को तीन महीने की अवधि के लिए हिरासत में रखा गया। निरोध के आधार जो अपीलार्थी को प्रदान किए गए थे, वे निम्नलिखित प्रभाव के थेः

नकली रेमेडिसविर इंजेक्शन लगाए गए थे

((i)

रोगी जिनके परिणामस्वरूप कई असामयिक मौतें हुईं; नकली इंजेक्शन से हताहत हुए थे जो

((ख)

समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया;

(iii)

जबलपुर में जनता में गुस्सा और आक्रोश था और इसके आसपास के जिले जो किसी भी समय विस्फोट कर सकते हैं;

4 " एस. पी. "रबजीत सिंह मोखा बनाम। जिला मैजिस्ट्रेट, बालपुर और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

((iv) अपीलार्थी की आपराधिक पृष्ठभूमि थी लेकिन

उसकी 'धन शक्ति' के कारण कुछ मामलों में बरी कर दिया गया। द.

अपीलार्थी के खिलाफ आपराधिक मामले थेः

2021 की एफ. आई. आर. संख्या 252 दिनांक 10 मई 2021, से संबंधित

(अ)

कोविड-19 महामारी के बीच नकली रेमेडिसविर इंजेक्शन की बिक्री;

(ख)

2004 का अपराध सं. 400 दिनांक 23 मई 2004 के तहत आई. पी. सी. की धारा 395,397 और 120 बी, और शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25 और 27 गोरखपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई, जिसमें अपीलकर्ता था।

एक व्यक्ति पर घातक हथियारों से हमला करने का आरोप।

अपीलार्थी को इस मामले में बरी कर दिया गया था;

(v) अपीलार्थी के स्वामित्व वाला नगर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र

Rs.15 के 500 नकली रेमेडिसविर इंजेक्शन का ऑर्डर दिया था

3, 000/- रुपये प्रति पीस की दर से चालान संख्या। 0063 दिनांक 20 अप्रैल 2021, जिसे माध्यमों से खरीदा गया था

गुजरात जिनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी गुजरात पुलिस;

(vi) एक सार्वजनिक आंदोलन और आक्रोश पूरे शहर में फैल गया था

समाचार प्रकाशित किए जाने के साथ जबलपुर

क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति की आशंका;

(vii) नकली इंजेक्शन इंदौर से खरीदे गए थे और पहुंचे थे।

देवेश की मिलीभगत से अंबा ट्रेवल्स के माध्यम से जबलपुर में

चौरसिया और इन इंजेक्शनों के लिए भुगतान किया गया था

एक सपन जैन द्वारा;

(viii) कोविड-19 महामारी के कारण कई मामले सामने आए।

जहाँ रोगियों को रेमेडिसविर इंजेक्शन की आवश्यकता थी; और

(ix) नकली आवश्यक दवाएं देने के लिए रोगियों को धोखा देना है

दंडनीय अपराध।

6. निरोध का आदेश अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया था

[2021 में। अपीलार्थी को 12 मई 2021 को हिरासत में लिया गया था। द.

मध्य प्रदेश सरकार ने 13 को हिरासत के आदेश को मंजूरी दी

2021 एनएसए की धारा 3 (4) के प्रावधानों के संदर्भ में। द.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. 29 जून 2021 को, एस. पी. ने जिला मजिस्ट्रेट से हिरासत के आदेश को बढ़ाने की सिफारिश की, जिसे शुरू में एक मामले के लिए पारित किया गया था। तीन महीने की अवधि। 5 जुलाई 2021 के एक आदेश द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर ने अपीलार्थी की नजरबंदी को तीन महीने की और अवधि के लिए 12 नवंबर 2021 को समाप्त करने के लिए बढ़ा दिया और विस्तार का आदेश राज्य सरकार को भेज दिया।

9. इस बीच, 3 जुलाई 2021 को, अपीलार्थी ने निरोध के आदेश को चुनौती देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में 11 मई 2021 के निरोध के मूल आदेश के साथ-साथ 5 जुलाई 2021 के विस्तार दोनों को चुनौती देने के लिए संशोधन किया गया था। 10. 15 जुलाई 2021 को राज्य सरकार ने कथित तौर पर अपीलार्थी के पहले अभ्यावेदन को खारिज कर दिया और निरोध के आदेश को बढ़ा दिया।

12 नवंबर 2021 तक। जिला मजिस्ट्रेट ने 22 जुलाई 2021 को एक पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को, जो हिरासत में था, राज्य सरकार द्वारा निरोध के आदेश के विस्तार के बारे में सूचित किया। अपनी नजरबंदी के विस्तार के खिलाफ अपीलार्थी का एक और अभ्यावेदन राज्य सरकार द्वारा 5 अगस्त 2021 को खारिज कर दिया गया था और उसी दिन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया था।

8 " जिला मजिस्ट्रेट " 9 " दूसरा प्रतिनिधित्व "सरबजीत सिंह मोखा बनाम।

जिला मैजिस्ट्रेट, जबलपुर और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

11. अपीलार्थी की रिट याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी

24 अगस्त 2021 को विवादित फैसले द्वारा अदालत। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अन्य बातों के साथ-साथ निरोध आदेश को बरकरार रखते हुए कहा किः

(i) राज्य सरकार को निरोध का आदेश भेजने में कोई अनुचित देरी नहीं हुई, क्योंकि आदेश 11 मई को पारित किया गया था।

2021 और 13 मई को राज्य सरकार को भेजा गया था

2021 ;

नकली रेमेडिसविर देने का एकमात्र कार्य

((ख)

वर्तमान मामले में इंजेक्शन, अनुभाग को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है 3 एन. एस. ए.;

(iii)

निरोध आदेश के साथ-साथ उच्च न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र

न्यायालय अधिकारियों की व्यक्तिपरक संतुष्टि को दर्शाता है

एन. एस. ए. की धारा 3 लागू करना; और

((iv) जिला मजिस्ट्रेट ने अपना दिमाग एस. पी. पर लगाया था।

अपीलार्थी के निरोध के संबंध में सिफारिश, और निरोध आदेश यांत्रिक रूप से पारित नहीं किया गया था, बिना किसी कारण के।

12. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज किए जाने के बाद,

अपीलार्थी ने संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत कार्यवाही में इस न्यायालय का रुख किया। इस न्यायालय द्वारा 20 सितंबर 2021 को नोटिस जारी किया गया था।

13. कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, 30 सितंबर 2021 के एक आदेश द्वारा, हिरासत के आदेश को आगे के लिए बढ़ा दिया गया है।

तीन महीने की अवधि, 12 फरवरी 2022 को समाप्त हो रही है।

बी वकीलों की दलीलें

14. श्री सिद्धार्थ लूथरा, की ओर से पेश वरिष्ठ वकील

अपीलार्थी ने निम्नलिखित तर्कों का आग्रह किया हैः

(i) 18 मई 2021 को, अपीलार्थी के बेटे ने एक

जिला मजिस्ट्रेट, राज्य को प्रतिनिधित्व

सरकार और केंद्र सरकार, के खिलाफ

11 मई 2021 का निरोध आदेशः

(अ)

केंद्र सरकार ने पहले गलत तरीके से कहा था उच्च न्यायालय कि प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति

दिनांक 24 जून 2021 को वायरलेस संदेश द्वारा अपीलार्थी को 28 जून 2021 को सूचित किया गया था। केंद्र सरकार ने 24 जून 2021 को अपने प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति की एक प्रति केवल [2021] 11 एस. सी. आर. के रूप में प्रस्तुत की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की रिट याचिका के लिए 26 जुलाई 2021 को उनके जवाबी हलफनामे में एक अनुलग्नक का; और

(ख)

अपीलार्थी का अभ्यावेदन दिनांक 18 मई 2021

20 मई 2021 को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अग्रेषित किया गया और 24 मई 2021 को केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त किया गया। इसके बाद, केंद्र सरकार

जिले से पैरा-वाइज टिप्पणियां माँगी गईं

2 जून 2021 को मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार। केंद्र सरकार का बेतार संदेश दिनांकित

28 जून 2021 ने 24 जून 2021 के आदेश द्वारा अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए, जेल अधीक्षक को अपीलार्थी की स्वीकृति को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। द.

उत्तरदाताओं के पास इसकी प्रति नहीं है। स्वीकृति क्योंकि अपीलार्थी को कभी भी अपने अभ्यावेदन की अस्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है;

((ख)

राज्य सरकार ने भी कोई जवाब नहीं दिया।

12 अगस्त 2021 को उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए गए अपने अतिरिक्त जवाब को छोड़कर, अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व, जिसे कथित रूप से 15 जुलाई 2021 को खारिज कर दिया गया था;

इस अदालत ने माना है कि एक बंदी पर विचार करने में देरी

(iii)

अंकित अशोक जालान बनाम में निरोध आदेश के लिए प्रतिनिधित्व घातक हो सकता है। भारत संघ 10 1, हरीश पाहवा बनाम। राज्य

उत्तर प्रदेश का 1 1, राज किशोर प्रसाद बनाम। की स्थिति बिहार 1 2 और वसीउद्दीन अहमद बनाम। जिला मजिस्ट्रेट,

अलीगढ़ 1 3.

((iv) अपीलार्थी को राज्य की प्रति नहीं दी गई थी।

13 मई के निरोध आदेश को सरकार की मंजूरी

2021 ;

निरोध आदेश की मंजूरी और संचार

(v)

अभ्यावेदन की अस्वीकृति तुरंत की जानी चाहिए,

बीरेन दत्ता बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों के अनुसार। त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त 1,4 और खाजा बिलाल अहमद बनाम।

तेलंगाना राज्य; 1 5 15

2 (3) एससीसी 10 1 (4) एस. सी. सी. 521

1965 एससी 596

ओ (13) एस. सी. सी. 632 ई. टी. सिंह मोखा बनाम। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यू. आर. एंड ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय अंशुल जैन बनाम। मध्य प्रदेश राज्य ने एन. एस. ए. अधिनियम की धारा 3 (5) की व्याख्या करते हुए कहा कि जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से प्रस्तुत मूल रिकॉर्ड में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन के आदेश को आधार के साथ भेजने और प्राप्त करने की सही तारीख होनी चाहिए। इस मामले में केंद्र सरकार को मांग करनी पड़ी

जिला मजिस्ट्रेट से उपरोक्त रिपोर्ट;

रेमेडिसविर के कथित कालाबाजारी के लिए 15 जुलाई 2021 को एनएसए के तहत अपीलार्थी की नजरबंदी का विस्तार अवैध है, क्योंकि एनएसए की धारा 3 (2) के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि अगर कालाबाजारी की रोकथाम के तहत आदेश दिया जा सकता है तो इसके तहत हिरासत का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है।

& आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का रखरखाव अधिनियम 1980;

अपीलार्थी ने घनश्याम उपाध्याय बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया है। उत्तर प्रदेश राज्य 1 7 और

तनवीर पटेल बनाम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय। मध्य प्रदेश राज्य 1 8 18 का तर्क है कि केवल

हिरासत का आधार नहीं हो सकता है। इसके अलावा, चूंकि उस समय सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक आदेश लागू था, इसलिए सार्वजनिक व्यवस्था के आधार को नजरबंदी के लिए उचित नहीं ठहराया जा सकता था। अपीलार्थी को निचली अदालत ने केस क्राइम नंबर 400/2004 और केस चालान नंबर 547/2004 के तहत बरी कर दिया था।

आई. पी. सी. की धारा 395,397,120 और पी. एस. गोरखपुर में शस्त्र अधिनियम की धारा 25,27। फिर भी, 11 मई 2021 के निरोध आदेश ने इस पूर्व घटना पर भरोसा किया है, जिसका वर्तमान आरोपों के साथ कोई सीधा या निकट संबंध नहीं है। निरोध को उचित ठहराने के लिए पिछले पूर्ववृत्त पर यह पुरानी निर्भरता खाजा बिलाल अहमद बनाम में इस न्यायालय के फैसलों का उल्लंघन है। तेलंगाना राज्य, 1 9 9 समा अरुणा बनाम। की स्थिति

तेलंगाना, 2 ओ रमेश यादव बनाम। जिला मजिस्ट्रेट

8 2021 का

सीसी 811 ऑनलाइन एमपी 2021 सीसी 632

एटा, 2 1 लक्ष्मण खटिक बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य, 22 यममान ओंगबी लेम्बी लीमा बनाम। मणिपुर राज्य 2,3 और रामेश्वर शॉ बनाम। जिला मजिस्ट्रेट बर्दवान 24:

नजरबंदी एक एकल कार्रवाई पर आधारित है और इसे होना चाहिए

(x)

जैसा कि इस न्यायालय द्वारा रामवीर जाटव बनाम में अभिनिर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य 25 और विजय नारायण सिंह बनाम। की स्थिति बिहार 2 6;

(xi) एफ. आई. आर. में जमानत देने की केवल आशंका हिरासत का कारण नहीं हो सकती है, जैसा कि इस अदालत ने पी. पी. रूखिया बनाम. संयुक्त सचिव 27. किसी भी स्थिति में, यह आशंका निराधार है क्योंकि अपीलार्थी ने जमानत के लिए आवेदन नहीं किया है; (xii) अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से खरीदे गए नकली रेमेडिसविर इंजेक्शन के कारण मृत्यु/नुकसान का कोई ठोस सबूत नहीं है। जैसा कि इस न्यायालय ने पेबाम निंगोल मिकोई देवी बनाम में अभिनिर्धारित किया था। मणिपुर राज्य 28 और राजेंद्र सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य 2 9, निरोध पारित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है

आदेश दें;

(xiii) मोहिंदर सिंह गिल बनाम में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली 3 0

निरोध के मूल निरोध आदेश के आधार पर देखा जाना चाहिए और अतिरिक्त द्वारा पूरक नहीं किया जा सकता है

आधार;

(xiv) 15 जुलाई 2021 और 30 सितंबर 2021 को निरोध के आदेश का विस्तार अस्पष्ट और अनुचित आधार पर है। यह अपीलार्थी के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

अनुच्छेद 21 के तहत; और

1 1 (1985) 4 एससीसी 232

4 ए. आई. आर 1964 एस. सी. 334 5 (1986) 4 एस. सी. सी. 726

6 (1984) 3 एससीसी 14

7 (2019) 20 एस. सी. सी. 740

8 2010 (9) एस. सी. सी. 618

2007 (7) एस. सी. सी. 378

(1978) 1 एस. सी. सी. 405 ईट सिंह मोखा बनाम। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यू. आर. एंड ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अपीलार्थी कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था और 6 मई 2021 को उसे दिल का दौरा पड़ा था। अपीलार्थी की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सा सलाह के बावजूद, उसे 12 तारीख को हिरासत में लिया गया था। मई 2021।

प्रतिवादियों की ओर से पेश होते हुए, प्रदेश की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आई. आर. सौरभ मिश्रा ने नजरबंदी की वैधता के समर्थन में दलीलें दी हैं।

एन. एस. ए. एक पूर्ण कोड होने के कारण, हिरासत में लिए गए लोगों के लिए कई सुरक्षा उपाय प्रदान करता है जिनका विधिवत पालन किया गया हैः

(क) जिला मजिस्ट्रेट के 11 मई 2021 के निरोध आदेश को उसी दिन अपीलार्थी को एनएसए की धारा 8 (2) के तहत पांच दिनों की बाहरी सीमा के अनुपालन में सूचित किया गया था। निरोध आदेश को राज्य सरकार द्वारा विधिवत मंजूरी दी गई थी

13 मई 2021 को, धारा 3 (4) के अनुपालन में; (बी) राज्य सरकार ने एन. एस. ए. की धारा 3 (5) के तहत सात दिन की समय सीमा के भीतर 13 मई 2021 को केंद्र सरकार को अपीलार्थी की नजरबंदी की विधिवत सूचना दी। धारा 10 के अनुपालन में, राज्य

सरकार ने हिरासत के आदेश को सलाहकार बोर्ड को भी भेज दिया। 15 जून 2021 को, सलाहकार बोर्ड ने धारा 11 के तहत रिकॉर्ड की जांच की, और नोट किया कि हिरासत के लिए पर्याप्त कारण था।

राज्य सरकार ने तदनुसार मंजूरी दी

धारा 12 (1) के तहत 29 जून 2021 को निरोध आदेश;

और अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर विचार किया गया और

((ग)

केंद्र सरकार और राज्य द्वारा निर्णय लिया गया समय पर सरकार। राज्य ने

सरकार ने अपीलार्थी का अभ्यावेदन अग्रेषित किया

20 मई 2021 को केंद्र सरकार को भेजा गया और यह सेवा 1 जून 2021 को पूरी हुई। केंद्र सरकार ने पैरा-वाइज टिप्पणियाँ माँगी

2 जून 2021 को जिला मजिस्ट्रेट। जिला

मजिस्ट्रेट ने 10 जून 2021 को टिप्पणियां अग्रेषित कीं और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा 11 जून 2021 को प्राप्त किया गया। उचित विचार के बाद, केंद्रीय [2021] 11 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

सरकार ने अपीलार्थी के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया 24 जून 2021 को और 28 जून 2021 को एक वायरलेस संदेश द्वारा उन्हें सूचित किया। राज्य सरकार ने अपीलार्थी के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया

15 जुलाई 2021 को। किसी भी स्थिति में, अपीलार्थी ने अपने अभ्यावेदन पर विचार करने में देरी का आग्रह नहीं किया है

उच्च न्यायालय के समक्ष;

यह अच्छी तरह से तय है कि व्यक्तिपरक संतुष्टि

हिरासत में रखने का अधिकार न्यायोचित नहीं है, जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है रामेश्वर शाह बनाम। जिला मजिस्ट्रेट। 3 2 न तो हो सकता है

इसकी संतुष्टि की तर्कसंगतता पर सवाल उठाया जाना चाहिए

जाँच की गई। प्रत्यर्थियों ने पंजाब राज्य बनाम में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। सुखपाल सिंह 3 और पेबाम निंगोल मिकोई देवी बनाम। मणिपुर राज्य 3 4; जब निवारक निरोध के आदेश को चुनौती दी जाती है, तो निरोध प्राधिकरण को अपराध साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है या

वी. नाबिला 3 5 35: . कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप दुनिया भर में विनाशकारी प्रभाव पड़े हैं। नकली आवश्यक दवाएं बेचने वाले एक विशेष अस्पताल के मालिक के रूप में अपीलार्थी के आचरण ने सार्वजनिक आक्रोश और मीडिया में आक्रोश पैदा कर दिया था। इसलिए, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि में, हिरासत थी

नकली रेमेडिसविर की आगे बिक्री को रोकने के लिए आवश्यक है

सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल होगा;

निरोध का एक वैध आदेश आयोग और चूक के एक एकल कार्य पर भी आधारित हो सकता है, जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है सुभाष भंडारी बनाम। जिला मजिस्ट्रेट 36 और डेविड

पैट्रिक वार्ड बनाम। भारत संघ 3 7;

ईआर 921

सी 35

ईसी 618

सीसी 127

सीसी 685

सी. सी. 154 सरबजीत सिंह मोखा बनाम जिला मैजिस्ट्रेट, जबलपुर और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(vi) भले ही पूर्ववृत्त या किसी अन्य आधार पर पुरानी निर्भरता का अपीलार्थी का तर्क सफल हो, एनएसए की धारा 5 ए निरोध के आधारों को अलग करने का प्रावधान करती है और शेष आदेश बना रहेगा। कानून में इस स्थिति को इस न्यायालय द्वारा शफीक में स्वीकार किया गया है।

अहमद बनाम। जिला मजिस्ट्रेट 3 8;

(vii) वर्तमान मामला कालाबाजारी का एक साधारण कार्य नहीं है, बल्कि इसमें कोविड-19 रोगियों के लिए नकली रेमेडिसविर शीशियों की खरीद और प्रशासन शामिल है। इसलिए, कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का रखरखाव

वस्तु अधिनियम 1980 लागू नहीं होता है।

(viii) एन. एस. ए. की धारा 3 (5) के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ क्योंकि राज्य सरकार ने 13 मई 2021 को हिरासत के आदेश को मंजूरी दी और तुरंत इसकी सूचना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को दी।

केंद्र सरकार; और

(ix) उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में, केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 24 जून 2021 के अभ्यावेदन को अस्वीकार करने का उसका आदेश विधिवत था

संप्रेषित किया।

16. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है।

ग प्रतिनिधित्व करने का अधिकारः संवैधानिक सुरक्षा उपाय

और एन. एस. ए. की विधायी योजना

17. संविधान का अनुच्छेद 22 विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करता है -

भारत में विचाराधीन और बंदी। संविधान के निर्माता, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी थे, एक ऐसी राजनीति की स्थापना के प्रति सचेत थे जो अपने नागरिकों को नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करे। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने लेख का प्रस्ताव करते हुए अवधारणा को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया "देश की वर्तमान परिस्थितियों में" निवारक निरोध। 30 39 तथापि, औपनिवेशिक शासन से अलगाव सख्त जवाबी उपायों की शुरुआत में निहित था जो यह सुनिश्चित करता था कि सभी मामलों में "व्यक्ति की स्वतंत्रता की अनिवार्यता को राज्य के हितों से ऊपर नहीं रखा गया है"। 40

38 (1989) 4 एस. सी. सी. 556 39 डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का भाषण, संविधान सभा बहस, खंड। IX, 9.141। 38 (15 / 09/1949)

40 आईडी.

18. निवारक निरोध से संबंधित विशिष्ट प्रावधान

22 को निम्नलिखित शब्दों में तैयार किया गया थाः

" (4) निवारक निरोध का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून अधिकृत नहीं करेगा

तीन महीने से अधिक समय तक किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना

जब तक कि (ए) एक सलाहकार बोर्ड जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, या जिनके पास है

कि उसकी राय में इस तरह की नजरबंदी के लिए पर्याप्त कारण हैः बशर्ते कि इस उपखंड की कोई भी बात निरोध को अधिकृत नहीं करेगी

किसी भी कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम अवधि से परे किसी भी व्यक्ति का खंड (7) के उपखंड (बी) के तहत संसद द्वारा किया गया; या

(ख) ऐसे व्यक्ति को इन प्रावधानों के अनुसार हिरासत में लिया जाता है -

उपखंड (क) और (ख) के अधीन संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि। खंड (7)।

(5) जब किसी आदेश के पालन में किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है।

निवारक निरोध का प्रावधान करने वाले किसी भी कानून के तहत बनाया गया, आदेश देने वाला प्राधिकारी, जितनी जल्दी हो सके,

ऐसे व्यक्ति को वे आधार बताएँ जिनके आधार पर आदेश दिया गया है।

बनाया गया है और उसे जल्द से जल्द अवसर प्रदान करेगा आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करना।

(6) खंड (5) की किसी भी बात के लिए प्राधिकरण से ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी - तथ्यों को प्रकट करने के लिए ऐसा आदेश जो उस खंड में निर्दिष्ट किया गया है

ऐसा प्राधिकारी खुलासा करना लोक हित के खिलाफ मानता है।

(7) संसद कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है

(क) वे परिस्थितियाँ जिनके अधीन, और वर्ग या वर्ग

जिन मामलों में किसी व्यक्ति को अधिक समय तक हिरासत में रखा जा सकता है

निवारक निरोध का प्रावधान करने वाले किसी भी कानून के तहत तीन महीने

तदनुसार सलाहकार मंडल की राय प्राप्त किए बिना खंड (4) के उपखंड (क) के प्रावधानों के साथ;

(ख) अधिकतम अवधि जिसके लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग में या

निवारक प्रावधान करने वाले किसी भी कानून के तहत मामलों के वर्गों को हिरासत में लिया जाए नजरबंदी; और

(ग) एक सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

खंड (4) के उपखंड (ए) के तहत जांच।

(जोर दिया गया)

सरबजीत सिंह मोखा बनाम। जिला मैजिस्ट्रेट, जबलपुर और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

19. अनुच्छेद 22 के पाठ में कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है,

जिनमें से कई अन्यथा सीआरपीसी में उपलब्ध हैं। इन सुरक्षा उपायों को एक संवैधानिक स्थिति तक बढ़ाने में, निर्माताओं ने भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों को निरस्त नहीं करने के लिए संसद और [राज्य] विधानमंडल दोनों के अधिकार पर एक विशिष्ट सीमा लगा दी। डॉ. बख्शी टेक चंद, निवारक के प्रति ईमानदार असहमति रखने वाले

शांतिपूर्ण समय में निरोध, बंदी को प्रतिनिधित्व करने के अधिकार के प्रावधान में एक और सुरक्षा का प्रस्ताव, 42 जिसे अंततः संविधान सभा द्वारा एक उचित प्रावधान के रूप में स्वीकार किया गया था।

समझौता 4 3 इसलिए, स्वतंत्र भारत में निवारक निरोध का उपयोग संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

20. अनुच्छेद 22 के निर्माण का यह इतिहास इसके लिए महत्वपूर्ण है

एक बंदी की रिट याचिका का न्यायपालिका का मूल्यांकन, अन्य बातों के साथ, उसके प्रतिनिधित्व पर समय पर विचार करने से इनकार करने का आरोप लगाता है। यद्यपि निवारक निरोध से उनकी रिहाई के लिए बहस करने के लिए अपीलार्थी द्वारा कई तर्कों को प्राथमिकता दी गई है, हम अपने विश्लेषण को इस मामले के सबसे निर्णायक पहलू तक सीमित कर रहे हैं-केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 18 मई 2021 को उनके प्रतिनिधित्व पर समय पर विचार करने में विफलता।

21. संविधान का अनुच्छेद 22 (5) आदेश देता है कि (i) प्राधिकरण

आदेश देना "जितनी जल्दी हो सके" उन आधारों को सूचित करेगा जिनके आधार पर आदेश हिरासत में लिए गए व्यक्ति को दिया गया है; और (ii) हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जल्द से जल्द हिरासत में लेने का अधिकार होगा।

आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अवसर " 44.का खंड 5 अनुच्छेद 22 में दोहरी आवश्यकता शामिल हैः पहला, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को जितनी जल्दी हो सके हिरासत के आधारों को सूचित करने की आवश्यकता; और दूसरा, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने का "जल्द से जल्द अवसर" प्रदान करना। ये दोनों प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ परस्पर हैं -

सुदृढ़ीकरण। हिरासत के आधारों के बारे में, जितनी जल्दी हो सके, संचार का उद्देश्य हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उस आधार के बारे में सूचित करना है जिसके आधार पर

42 डॉ. बख्शी टेक चंद का भाषण, संविधान सभा बहस, खंड। IX, 9.141। 181 (15/09/1949) 43 संविधान सभा वाद-विवाद, खंड। IX (16/09/1949) 44 अनुच्छेद 22 (5): जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का प्रावधान करने वाले किसी कानून के तहत किए गए आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो आदेश देने वाला प्राधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, ऐसे व्यक्ति को उन आधारों से अवगत कराएगा जिनके आधार पर आदेश दिया गया है और उसे आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन करने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान करेगा।

हिरासत में लेने का आदेश दिया गया है। अभिव्यक्ति "जितनी जल्दी हो सके" तत्कालता की आवश्यकता का आयात करता है।

22. मैदानों का संचार सुविधा प्रदान करने में सहायता करता है

के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का बंदी का अधिकार

नजरबंदी। आधारों के संप्रेषित किए जाने के अभाव में, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उन कारणों के संबंध में अंधेरे में छोड़ दिया जाएगा जिनके कारण हिरासत का आदेश दिया गया है। संवैधानिक प्रावधान आधारों के संचार के साथ-साथ प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करने के लिए जो महत्व देता है, वह आधारों को संप्रेषित करने और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के अधिकार का लाभ उठाने का "जल्द से जल्द अवसर" देने के संबंध में पहले भाग में "जल्द से जल्द" अभिव्यक्ति के उपयोग से स्पष्ट होता है। अनुच्छेद 22 (5) संविधान के निर्माताओं के बारे में गहरी जागरूकता को दर्शाता है कि निवारक निरोध से किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के हिरासत में लिया जाता है और इसलिए, इसमें प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय शामिल हैं जो

महत्व तब तक है जब तक कि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी प्रतिनिधित्व से संबंधित नहीं है और अभियान के साथ अपने निर्णय को सूचित नहीं करता है। 23. एन. एस. ए. के प्रावधान अनुच्छेद 22 (5) के अधिदेश की सदस्यता लेते हैं। धारा 3 (4) में एक आवश्यकता है कि एक बार निरोध का आदेश दिए जाने के बाद, आदेश देने वाले अधिकारी को तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए

राज्य सरकार को तथ्य, उन आधारों के साथ जिनके आधार पर आदेश दिया गया है और अन्य विवरण जो मामले पर असर डालते हैं। ऐसा कोई भी आदेश बारह दिनों से अधिक समय तक लागू नहीं रहना चाहिए, जब तक कि इसे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो। इस बीच, यह अवधि उस परंतुक के अधीन है जो यह निर्धारित करता है कि जहां आधार

निरोध के बारे में अधिकारी द्वारा पांच दिनों के बाद (धारा 8 के तहत) सूचित किया जाता है, लेकिन निरोध की तारीख से दस दिनों के बाद नहीं, उप धारा (4) लागू होगी जैसे कि पंद्रह दिन शब्द बारह दिनों के लिए प्रतिस्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा या तो बनाने या अनुमोदन करने पर

धारा 3 के तहत आदेश, यह धारा 3 (5) के तहत एक अधिदेश के तहत सात दिनों के भीतर केंद्र सरकार को उन आधारों के साथ तथ्य की रिपोर्ट करने के लिए है, जिन पर आदेश दिया गया है और अन्य आवश्यक विवरण।

सरबजीत सिंह मोखा बनाम। जिला मैजिस्ट्रेट, जबलपुर और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

24. एन. एस. ए. की धारा 8 में शासन करने वाले वैधानिक प्रावधान शामिल हैं।

निरोध के आधारों का खुलासा। धारा 8 निम्नलिखित में है - शर्तेः

" 8. निरोध के आदेश के आधार का खुलासा आदेश से प्रभावित व्यक्तियों को किया जाना है। (1) जब किसी व्यक्ति को निरोध आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया जाता है, तो आदेश देने वाला प्राधिकारी, जितनी जल्दी हो सके,

हो सकता है, लेकिन आम तौर पर पाँच दिनों के बाद और असाधारण परिस्थितियों में और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, नजरबंदी की तारीख से [दस दिनों] के बाद नहीं, उसे उन आधारों से सूचित करें जिनके आधार पर आदेश दिया गया है और उसे इसके खिलाफ अभ्यावेदन करने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान करेगा।

उपयुक्त सरकार को आदेश। (2) उप-धारा (1) में किसी भी बात के लिए प्राधिकरण से उन तथ्यों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होगी जिन्हें वह सार्वजनिक हित के खिलाफ मानता है।

जैसा कि पहले देखा गया है, संविधान के अनुच्छेद 22 (5) में उन आधारों के संचार का प्रावधान है जिन पर निरोध का आदेश दिया गया है। हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा "जितनी जल्दी हो सके" किया गया था। धारा 8 (1) "जितनी जल्दी हो सके" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है, जो इसे इस आवश्यकता के साथ अर्हता प्रदान करती है कि आधारों का संचार सामान्य रूप से इसके बाद नहीं होना चाहिए।

पाँच दिन और, असाधारण परिस्थितियों में, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए

नज़रबंदी की तारीख से दस दिनों के बाद लिखित रूप में नहीं। धारा 8 (1) अनुच्छेद 22 (5) की दूसरी आवश्यकता को भी मूर्त रूप देती है जिसमें बंदी को आदेश के खिलाफ उपयुक्त सरकार को प्रतिनिधित्व करने का जल्द से जल्द अवसर प्रदान किया जाता है।

25. धारा 10 सलाहकार बोर्ड के लिए एक संदर्भ को अनिवार्य करती है

धारा 9 के प्रावधानों के तहत गठित किया गयाः

" 10. सलाहकार बोर्डों का संदर्भ। - अन्यथा सहेजें

इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक मामले में जहां इस अधिनियम के तहत निरोध आदेश दिया गया है, उपयुक्त सरकार किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर करेगी। आदेश
के तहत, धारा 9 के तहत उसके द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड के समक्ष, जिन आधारों पर आदेश दिया गया है और आदेश से प्रभावित व्यक्ति द्वारा किया गया अभ्यावेदन, यदि कोई हो, और ऐसे मामले में जहां आदेश एक अधिकारी द्वारा किया गया है, प्रस्तुत करें।

धारा 3 की उप-धारा (3) में उल्लिखित, उस धारा की उप-धारा (4) के तहत ऐसे अधिकारी द्वारा रिपोर्ट भी।

आदेश से प्रभावित व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, के साथ व्यक्ति को हिरासत में लेने की तारीख से कुछ दिन। धारा 11 के प्रावधानों के तहत सलाहकार बोर्ड को तारीख से सात सप्ताह के भीतर उपयुक्त सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। संबंधित सामग्री पर विचार करने के बाद निरोध आदेश। यह उपयुक्त सरकार, या किसी भी व्यक्ति से अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकता है,

या यहाँ तक कि संबंधित व्यक्ति भी यदि वे सुनवाई का अवसर चाहते हैं

व्यक्ति।

26. सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर कार्रवाई धारा 12 के दायरे में आती है:

" 12. सलाहकार मंडल की रिपोर्ट पर कार्रवाई। —

(1) किसी भी मामले में जहां सलाहकार बोर्ड ने बताया है कि उसकी राय में, किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का पर्याप्त कारण है, उपयुक्त सरकार निरोध आदेश की पुष्टि कर सकती है और संबंधित व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए हिरासत में रखना जारी रखें जैसे कि

यह उचित समझता है।

(2) किसी भी मामले में जहां सलाहकार बोर्ड ने बताया है कि उसकी राय में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, उपयुक्त सरकार निरोध आदेश को रद्द कर देगी और

संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा कराएं।

व्यक्ति की ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे। दूसरी ओर, जहां सलाहकार बोर्ड रिपोर्ट करता है कि उसकी राय में निरोध के लिए अपर्याप्त कारण है, उपयुक्त सरकार निरोध आदेश को रद्द कर देगी और व्यक्ति को तुरंत रिहा कर देगी। 28. धारा 14 निम्नलिखित शर्तों में निरोध आदेशों को निरस्त करने का प्रावधान करती है:

" 14. निरोध आदेशों को निरस्त करना।

(1) सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निरोध आदेश किसी भी स्थिति में, समय, निरस्त या संशोधित किया जाए, सरबजीत सिंह मोखा बनाम।

जिला मैजिस्ट्रेट, जबलपुर और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(क) इसके बावजूद कि आदेश धारा 3 की उप-धारा (3) में उल्लिखित एक अधिकारी द्वारा उस राज्य सरकार द्वारा दिया गया है जिसके अधीन वह अधिकारी है या केंद्र सरकार द्वारा;

(2) निरोध आदेश की समाप्ति या निरसन (इसके बाद इस उप-धारा में जिसे पूर्व निरोध आदेश के रूप में संदर्भित किया गया है) ऐसा नहीं होगा [चाहे ऐसा पूर्व निरोध आदेश पहले किया गया हो या नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा की
शुरुआत के बाद (दूसरा

संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 60) एक और निरोध आदेश बनाने पर रोक लगाता है (इसके बाद इस उप-धारा में जिसे

उसी के खिलाफ धारा 3 के तहत बाद का निरोध आदेश)

व्यक्तिः

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पहले के निरोध आदेश की समाप्ति या निरसन के बाद कोई नया तथ्य सामने नहीं आया है, उस अधिकतम अवधि के लिए जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को बाद के निरोध आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया जा सकता है, किसी भी मामले में बारह महीने की अवधि की समाप्ति से आगे नहीं बढ़ेगा।

पूर्व निरोध आदेश के तहत निरोध की तारीख से।

29. धारा 14 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और (बी) के संदर्भ में, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास शक्ति है -

निरोध के आदेश को निरस्त करना।

30. अब हम वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

मामला। शुरुआत में, हम यह ध्यान रखना चाहेंगे कि हमारा विश्लेषण निरोध के आदेश, पारित विस्तार आदेश और अपीलार्थी द्वारा 18 मई 2021 को किए गए पहले अभ्यावेदन की अस्वीकृति तक सीमित है।

डी विश्लेषण

D. 1 प्रतिनिधित्व पर विचार करने में देरी

31. श्री सौरभ मिश्रा, ए. ए. जी. ने प्रस्तुत किया है कि नहीं था

18 मई 2021 को अपीलार्थी के प्रतिनिधित्व पर विचार करने में अनुचित देरी, जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 20 मई 2021 को राज्य और केंद्र सरकार को सूचित किया गया था। इसके बाद, राज्य सरकार ने सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट का इंतजार किया, जिस पर उसने निरोध आदेश और अन्य जानकारी प्रस्तुत की थी, और अपनी राय तैयार करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट की टिप्पणियों पर विचार किया था। सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के बाद, राज्य सरकार ने [2021] 11 एस. सी. आर. को खारिज कर दिया।

15 जुलाई 2021 को अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व। इस प्रकार, 18 मई 2021 को अपीलार्थी द्वारा किए गए अभ्यावेदन को कथित रूप से लगभग दो महीने बाद 15 जुलाई 2021 को राज्य सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया था। प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने वाला राज्य सरकार का आदेश इस न्यायालय के समक्ष दायर नहीं किया गया है। 32. हमारे विचार के लिए जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या निरोध के अनुच्छेद 22 से उत्पन्न होने वाले प्रक्रियात्मक अधिकार

संविधान और एन. एस. ए. की धारा 8 में पर्याप्त रूप से संरक्षित थे

33. निरोध के आधारों के प्रकटीकरण और संचार की धारा 8 के तहत आवश्यकता और उपयुक्त सरकार को इस तरह के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान करना, सलाहकार बोर्ड के संदर्भ से अलग है। जयनारायण सुकुल बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य 45, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने उपयुक्त सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व पर शीघ्र विचार करने पर जोर दिया। में। उस मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा निवारक निरोध अधिनियम 1950 की धारा 3 (2) के तहत पारित निरोध के आदेश के खिलाफ एक अभ्यावेदन किया गया था। याचिकाकर्ता ने 23 जून 1969 को राज्य सरकार को एक अभ्यावेदन दिया, जिसे 19 अगस्त 1969 को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि हिरासत आदेश के संबंध में एक संदर्भ सलाहकार बोर्ड के समक्ष लंबित था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करने में अत्यधिक देरी हुई थी। पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति ए. एन. रे (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने कहाः

" 18. यह किसी भी संदेह से परे स्थापित किया गया है कि उपयुक्त प्राधिकारी हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर जल्द से जल्द विचार करने के लिए बाध्य है। उपयुक्त सरकार स्वयं प्रतिनिधित्व पर यथासंभव शीघ्रता से विचार करने के लिए बाध्य है।

प्रतिनिधित्व पर तत्काल विचार करने का कारण इतना स्पष्ट है कि इस पर जोर नहीं दिया जा सकता है। व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है हिस्सेदारी। कोई भी देरी न केवल उपयुक्त प्राधिकारी की ओर से एक गैर-जिम्मेदाराना कार्य होगी, बल्कि असंवैधानिक भी होगी क्योंकि

संविधान बंदी के अपने प्रतिनिधित्व पर विचार करने के मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है और यह अनिवार्य है कि जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में हो तो तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए

संबंधित अधिकारियों द्वारा।

[.....]

45 (1970) 1 एस. सी. सी. 219 अरबजीत सिंह मोखा बनाम जिला मैजिस्ट्रेट, बालपुर और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, जे।]

20. मोटे तौर पर कहा जाए तो चार सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए - निरोधकों का प्रतिनिधित्व। सबसे पहले, उपयुक्त प्राधिकारी बाध्य है

बंदी को प्रतिनिधित्व करने का अवसर देना और

बंदी के प्रतिनिधित्व पर जल्द से जल्द विचार करना।

दूसरा, प्रतिनिधित्व पर विचार करना

उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा बंदी पूरी तरह से स्वतंत्र है।

सलाहकार बोर्ड द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के लिए, जिसमें

द्वारा बंदी के प्रतिनिधित्व पर विचार

सलाहकार मंडल। तीसरा, इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए।

विचार का विषय। यह सच है कि कोई कठिन और तेज़ नहीं है

द्वारा लिए गए समय के माप के रूप में नियम निर्धारित किया जा सकता है

विचार के लिए उपयुक्त प्राधिकारी लेकिन यह होना चाहिए

याद रखें कि सरकार को सतर्क रहना होगा

नागरिकों का शासन। एक नागरिक का अधिकार एक

राज्य का सहसंबंधी कर्तव्य। चौथा, उपयुक्त

सलाहकार बोर्ड को प्रतिनिधित्व। यदि उचित हो। सरकार उस बंदी को रिहा कर देगी जिसे सरकार नहीं भेजेगी

सलाहकार मंडल को मामला। अगर सरकार

हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा नहीं करेगी सरकार मामला भेजेगी सलाहकार मंडल में बंदी के प्रतिनिधित्व के साथ। अगर

बंदी को रिहा करने के लिए सरकार बंदी को रिहा करेगी। अगर सलाहकार बोर्ड रिलीज के खिलाफ कोई भी राय व्यक्त करेगा

बंदी की सरकार अभी भी शक्ति का प्रयोग कर सकती है

बंदी को रिहा कर दो। "

(जोर दिया गया)

34. हरधन साहा बनाम में एक संविधान पीठ। पश्चिमी राज्य

अल 46 ने बंदी के अधिकार के बीच स्पष्ट अंतर किया

उनके प्रतिनिधित्व पर उपयुक्त सरकार द्वारा विचार किया जाता है और जो सलाहकार बोर्ड को सौंपा जाता है। न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 24. बंदी के प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाना चाहिए। वहाँ है।

प्रतिनिधित्व पर विचार करने का राज्य का दायित्व। द.

सलाहकार बोर्ड के पास पूरी सामग्री की जांच करने की पर्याप्त शक्ति है।

बोर्ड अधिक सामग्री के लिए भी कॉल कर सकता है। बोर्ड कॉल कर सकता है उसके अनुरोध पर बंदी। बोर्ड का गठन दिखाता है

75) 3 एस. सी. सी. 198 ["हरधन साहा"] [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि इसमें न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने के योग्य व्यक्ति शामिल हों

उच्च न्यायालय। बोर्ड का संविधान निष्पक्षता के मूल सिद्धांतों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं है कि मौखिक सुनवाई होनी चाहिए। अधिनियम की धारा 8, जो राज्य पर प्रतिनिधित्व पर विचार करने का दायित्व डालती है, बंदी को वे सभी अधिकार प्रदान करती है जिनकी अनुच्छेद 22 (5) द्वारा गारंटी दी गई है। सरकार अनिवार्य रूप से यह पता लगाने के लिए अभ्यावेदन पर विचार करती है कि क्या आदेश कानून के तहत शक्ति के अनुरूप है। दूसरी ओर, बोर्ड इस बात पर विचार करता है कि क्या प्रतिनिधित्व हिरासत के लिए पर्याप्त कारण है "।

35. फ्रांसेस कोरली मुलिन बनाम। इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ डब्ल्यू. सी. खम्ब्रा 47 ने इस में प्रतिपादित सिद्धांतों को दोहराया इस न्यायालय के पूर्ववर्ती ने यह टिप्पणी कीः

" 5. [.....] हम सहमत हैंः (1) बंदी प्राधिकारी को बंदी को प्रतिनिधित्व करने का बहुत जल्दी अवसर प्रदान करना चाहिए, (2) बंदी प्राधिकारी को जितनी जल्दी हो सके प्रतिनिधित्व पर विचार करना चाहिए, और यह, अधिमानतः, प्रतिनिधित्व को सलाहकार बोर्ड को भेजे जाने से पहले होना चाहिए, (3) प्रतिनिधित्व को सलाहकार बोर्ड को भेजा जाना चाहिए इससे पहले कि बोर्ड अपना प्रतिनिधित्व करे।

रिपोर्ट, और (4) प्रतिनिधित्व के निरोध प्राधिकारी द्वारा विचार बोर्ड द्वारा सुनवाई या उसकी रिपोर्ट से पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, अभियान हर स्तर पर आवश्यक है।

हरधन साहा (ऊपर) में न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व पर विचार करते समय यह पता लगाना होगा कि क्या आदेश कानून के तहत शक्ति के अनुरूप है, जबकि दूसरी ओर बोर्ड इस बात पर विचार करता है कि क्या प्रतिनिधित्व के आलोक में निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। 47 (1980) 2 एस. सी. सी. 275 48 (1991) 1 एस. सी. सी. 476 अरबजीत सिंह मोखा बनाम।

37. हरीश पाहवा बनाम में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ। राज्य राज्य ", ने अभिनिर्धारित किया कि एक बंदी द्वारा एक प्रतिनिधित्व को शीघ्रता से समाप्त किया जाना चाहिए और इसे लंबित रखा जा सकता है, केवल तभी जब माफी मांगना बिल्कुल आवश्यक हो। यह न्यायालय 16 मई 1980 को एक निरोध, 3 जून को निरोध द्वारा एक अभ्यावेदन और 24 जून 1980 को इस तरह के अभ्यावेदन की अस्वीकृति पर विचार कर रहा था, जो दो दिनों के भीतर निरोध को सूचित किया गया था। जस्टिस एडी कोशलउन्होंने निम्नलिखित को पकड़कर निरोध के लिए घातक के रूप में अस्पष्टीकृत देरी की:

" 5. हमारी राय में, जिस तरह से अपीलार्थी द्वारा किए गए अभ्यावेदन से निपटा गया है, वह बिना मुकदमे के हिरासत में लिए गए व्यक्तियों द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के मामले में खेदजनक स्थिति को प्रकट करता है। 4, 5 और 25 जून, 1980 के अभ्यावेदन के संदर्भ में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि सरकार ने 13 जून, 1980 से 16 जून, 1980 तक प्रतिनिधित्व पर क्या विचार किया था, जब हम पाते हैं कि यह केवल विधि विभाग के संदर्भ में समाप्त हुआ, और न ही यह स्पष्ट है कि विधि विभाग से परामर्श क्यों करना पड़ा। एक बार फिर, हम यह समझने में विफल हैं कि प्रतिनिधित्व को मुख्यमंत्री तक पहुंचने से पहले छह दिनों तक एक मेज से दूसरी मेज पर क्यों जाना पड़ा, जो प्रतिनिधित्व तय करने के लिए एकमात्र अधिकारी थे। हम यह स्पष्ट कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले भी कई मौकों पर कर चुके हैं, कि जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का संबंध है तो यह न्यायालय इस तरह की देरी पर समानता से विचार नहीं करता है। अन्य विभागों से टिप्पणियाँ बुलाना, सचिव के बाद सचिव की राय लेना और अनुमति देना

उपस्थित किए बिना झूठ बोलना उस प्रकार की कार्रवाई नहीं है जो राज्य से इस तरह के महत्वपूर्ण मामले में करने की उम्मीद की जाती है। हम इस बात पर जोर देंगे कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वह अधिकतम अभियान के साथ उपरोक्त चरित्र के प्रतिनिधित्व को निर्धारित करने के लिए आगे बढ़े, जिसका अर्थ है कि इस मामले को जल्द से जल्द विचार के लिए लिया जाना चाहिए।

प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जाता है और लगातार निपटाया जाता है (जब तक कि इस संबंध में कुछ सहायता की प्रतीक्षा करना बिल्कुल आवश्यक न हो)

इसके साथ) जब तक कि अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है और उसे सूचित किया जाता है हिरासत में ले लिया। वर्तमान मामले में ऐसा नहीं किए जाने के कारण हमारे पास नजरबंदी को असंवैधानिक घोषित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम तदनुसार आदेश देते हैं, अपील की अनुमति देते हैं और निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी को तुरंत रिहा किया जाए।

38. मोहिनुद्दीन बनाम के मामले में एक अन्य निर्णय में। जिला

इस्त्रेट, बीड और अन्य, याचिकाकर्ता ने दो बनाए

प्रेषण, एक सलाहकार मंडल को और दूसरा प्रमुख कोस्टेर। जबकि सलाहकार बोर्ड के प्रतिनिधित्व पर विचार किया गया था, 22 सितंबर 1986 के प्रस्तुतिकरण को 17 सितंबर को निपटाया गया था।

एम. बी. 1986. राज्य सरकार के निवेदन को अस्वीकार करते हुए,

ई. ए. पी. सेन ने दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए कहाः

" 6. [...] जब किसी नागरिक का जीवन और स्वतंत्रता शामिल होती है, तो यह उम्मीद की जाती है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि

अनुच्छेद 22 (5) में सन्निहित सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया जाता है। हम कहते हैं और हम सोचते हैं कि यह दोहराना आवश्यक है कि समाज विरोधी गतिविधियों के परिणामस्वरूप समुदाय के लिए बुराई की गंभीरता कभी भी किसी नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आक्रमण करने के लिए पर्याप्त कारण प्रदान नहीं कर सकती है, सिवाय संविधान और कानूनों द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का इतिहास काफी हद तक प्रक्रिया के पालन पर जोर देने का इतिहास है।

सुरक्षा उपाय।

[.....]

8. [.....] जिला मजिस्ट्रेट श्री एस. वी. जोशी द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में पैरा में इस बात से साफ इनकार किया गया है कि अभ्यावेदन के निपटारे में कोई अनुचित देरी हुई थी। [.....]

यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा किया गया अभ्यावेदन

मुख्यमंत्री ने 22 सितंबर, 1986 को

24 तारीख को औरंगाबाद केंद्रीय कारागार के अधीक्षक का 26 तारीख को गृह विभाग में स्वागत किया गया, जिसने इसे हिरासत प्राधिकरण यानी जिले को भेज दिया।

मजिस्ट्रेट उसी दिन यानी 26 तारीख को उनकी टिप्पणियों के लिए। जिला मजिस्ट्रेट ने 3 अक्टूबर, 1986 की अपनी टिप्पणियों के साथ अभ्यावेदन वापस कर दिया, जो सरकार को प्राप्त हुआ था।

सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संसाधित और इसे मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा गया जहां 23 अक्टूबर, 1986 को इसे प्राप्त किया गया। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि मुख्यमंत्री "राज्य के बहुत महत्वपूर्ण मामलों में व्यस्त थे जिनमें पर्यटन के साथ-साथ पर्यटन भी शामिल थे।

28 और 29 अक्टूबर, 1986 को पुणे में और 11 और 12 नवंबर, 1986 को औरंगाबाद में हुई दो कैबिनेट बैठकों का कोई स्पष्टीकरण नहीं था।

7) 4 एस. सी. सी. 58 सरबजीत सिंह मोखा बनाम जिला मैजिस्ट्रेट, जबलपुर और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

मुख्यमंत्री ने 17 नवंबर, 1986 तक यानी 25 दिनों की अवधि के लिए अपीलार्थी द्वारा किए गए अभ्यावेदन में भाग क्यों नहीं लिया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर मुख्यमंत्री द्वारा विचार नहीं किए जाने का कोई कारण नहीं था।

सभी उचित शीघ्रता और परिश्रम और स्पष्टीकरण कि

वह बॉम्बे से दूर रहना निश्चित रूप से उचित नहीं है। व्याख्या करें। पूरी तरह से अस्पष्टीकृत और अनुचित रूप से लंबे समय को देखते हुए

राज्य सरकार द्वारा अभ्यावेदन के निपटारे में देरी, अपीलार्थी की आगे की हिरासत को अवैध माना जाना चाहिए और वह

इसे तुरंत मुक्त किया जाना चाहिए। "

39. एन. के. आई. टी. अशोक जालान बनाम में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के हालिया फैसले में। भारत संघ 5 1, न्यायमूर्ति यू. यू. ललित ने पुनरीक्षण किया

विषय पर पूर्ववर्ती और गुणात्मक अंतर को देखा

उपयुक्त द्वारा एक प्रतिनिधित्व के विचार के बीच

एक ओर सरकार और दूसरी ओर सलाहकार मंडल।

यू. यू. ललित, अपने और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा (के साथ) के लिए बोल रहे हैं स्टाइस हेमंत गुप्ता ने असहमति जताते हुए 52) कहाः

" 16. इन निर्णयों ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि उपयुक्त सरकार और बोर्ड द्वारा अभ्यावेदन पर विचार हमेशा गुणात्मक रूप से अलग होगा और उपयुक्त सरकार द्वारा विचार सलाहकार बोर्ड द्वारा किसी भी कार्रवाई से पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। के पैरा 12 में

पंकज कुमार चक्रवर्ती में निर्णय [पंकज कुमार] चक्रवर्ती बनाम। डब्ल्यू. बी. राज्य, (1969) 3 एस. सी. सी. 400: (1970) 1 एस. सी. आर. 543] यह कहा गया था कि सरकार की ओर से दायित्व

मामला भेजे जाने से पहले या बाद में प्रतिनिधित्व किया गया था सलाहकार मंडल को। जैसा कि पैरा 18 में कहा गया है, यह इसलिए कहा गया था, क्योंकि प्रतिनिधित्व पर विचार करने में कोई भी देरी न केवल उपयुक्त प्राधिकारी की ओर से एक गैर-जिम्मेदाराना कार्य होगी, बल्कि असंवैधानिक भी होगी। आकस्मिकता चाहे प्रतिनिधित्व

हरधन साहा [हरधन साहा बनाम] में निर्णय के पैरा 29 में फिर से विचार किया गया। की स्थिति

डब्ल्यू. बी. (1975) 3 एस. सी. सी. 198: 1974 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 816 "।

(2020) 16 एस. सी. सी. 127 [अंकित अशोक जालान]हेमंत गुप्ता की असहमति इस आधार पर है कि एक बार जब प्रतिनिधित्व ने उपयुक्त सरकार द्वारा सलाहकार बोर्ड को संदर्भित किया है, तो सलाहकार बोर्ड के विचार पर विचार करना हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण के लिए साक्ष्य का विषय है और इस प्रक्रिया के कारण होने वाली देरी हिरासत में लिए गए व्यक्ति के लिए प्रतिकूल नहीं है।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायमूर्ति यू. यू. ललित ने विभिन्न चरणों को वर्गीकृत किया जब

प्रेषण प्राप्त और निपटाया जाता है, अंतर्निहित सिद्धांत के साथ

प्रतिनिधित्व का हर स्तर पर शीघ्रता से निपटान किया जाना चाहिएः

" 17. इन सिद्धांतों के संदर्भ में, सलाहकार बोर्ड के संदर्भ के संदर्भ में प्रतिनिधित्व पर विचार करने का मामला,

इसे निम्नलिखित चार श्रेणियों में रखा जा सकता हैः

17.1 . यदि प्रतिनिधित्व सलाहकार बोर्ड को संदर्भित किए जाने से पहले प्राप्त किया जाता है और उपयुक्त सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है, तो प्रतिनिधित्व पर अभियान के साथ विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रतिनिधित्व के साथ

अभ्यावेदन पर लिए गए निर्णय को सलाहकार के समक्ष रखे जाने वाले दस्तावेजों को भेजा जाएगा और उनका हिस्सा होना चाहिए।

बोर्ड।

17.2 . यदि प्रतिनिधित्व सलाहकार बोर्ड को संदर्भित किए जाने से ठीक पहले प्राप्त होता है और इसके लिए पर्याप्त समय नहीं है

निर्धारित कानून के संदर्भ में प्रतिनिधित्व का निर्णय लें

जयनारायण सुकुल में [जयनारायण सुकुल बनाम। डब्ल्यू. बी. राज्य,

(1970) 1 एससीसी 219: 1970 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 92] और हरधन

साहा [हरधन साहा बनाम। डब्ल्यू. बी. राज्य, (1975) 3 एस. सी. सी. 198: 1974 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 816] प्रतिनिधित्व पहले तय किया जाना चाहिए और उसके बाद प्रतिनिधित्व और निर्णय को भेजा जाना चाहिए

सलाहकार मंडल। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि

उपयुक्त सरकार द्वारा पूरी तरह से विचार किया जाता है स्वतंत्र और यह भी कि इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए

प्रतिनिधित्व पर विचार करना। 17.3 . यदि प्रतिनिधित्व संदर्भ दिए जाने के बाद प्राप्त होता है, लेकिन सलाहकार बोर्ड द्वारा मामले पर निर्णय लेने से पहले,

हरदन साहा [हरदन] में निर्धारित सिद्धांतों के लिए साहा बनाम। डब्ल्यू. बी. राज्य, (1975) 3 एस. सी. सी. 198: 1974 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 816], प्रतिनिधित्व तय किया जाना चाहिए। निर्णय और साथ ही

इसके बाद प्रतिनिधि को तुरंत सलाहकार मंडल को भेजा जाना चाहिए।

17.4 . यदि सलाहकार बोर्ड के निर्णय के बाद प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है, तो निर्णय स्पष्ट हैं कि ऐसे मामलों में सलाहकार बोर्ड को प्रतिनिधित्व भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाना चाहिए

अभियान।

सरबजीत सिंह मोखा बनाम। जिला मैजिस्ट्रेट, जबलपुर और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

18. [.....] यह अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है कि प्रतिनिधित्व पर अत्यधिक अभियान के साथ विचार किया जाना चाहिए; और सरकार की शक्ति पूरी तरह से सरकार की शक्ति से स्वतंत्र है।

सलाहकार बोर्ड; और विचार का दायरा भी गुणात्मक रूप से अलग है, इस पर विचार करने का कोई कारण नहीं है

सरकार को सलाहकार मंडल के फैसले का इंतजार करना चाहिए। कोई नहीं।

उपरोक्त मामलों में से दूर से भी सुझाव दिया गया है कि

विचार से रिपोर्ट प्राप्त होने तक इंतजार करना चाहिए

सलाहकार बोर्ड "।

40. इस स्तर पर, हिरासत में लिए गए व्यक्ति द्वारा राज्य को एक साथ अभ्यावेदन करने के सिद्धांत पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण होगा और

केंद्र सरकार, जैसा कि इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने हाजी मोहम्मद में कहा था। अखलाक बनाम। जिला मजिस्ट्रेट 3 3. उस मामले में, याचिकाकर्ता ने एनएसए के तहत अपनी नजरबंदी की वैधता को चुनौती दी

इस आधार पर कि राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को उनका प्रतिनिधित्व भेजने में अनुचित देरी हुई थी। अदालत ने कहा कि धारा 14 (1) के तहत हिरासत के आदेश को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को जो शक्ति प्रदान की गई है, भले ही वह राज्य सरकार द्वारा दी गई हो, उसका वास्तविक अर्थ और सामग्री तभी होगी जब हिरासत में लिया गया व्यक्ति केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व करने का हकदार हो। केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के आगे प्रसारण के लिए हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अनुरोध का पालन करने में राज्य सरकार की विफलता हिरासत में लिए गए व्यक्ति को केंद्र सरकार द्वारा हिरासत को रद्द करने के मूल्यवान अधिकार से वंचित करती है।

41. वर्तमान अपील में, निरोध का आदेश 11 मई 2021 को पारित किया गया था और अपीलार्थी को 12 मई 2021 को हिरासत में लिया गया था। का आदेश

13 मई 2021 को राज्य सरकार द्वारा निरोध को मंजूरी दी गई थी, जिस पर राज्य सरकार ने उसी दिन केंद्र सरकार को निरोध का आदेश प्रस्तुत किया था। 18 मई 2021 को बंदी ने जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष एक साथ प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 20 मई 2021 को राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा गया था। अपीलार्थी के अनुसार, डाक और टेलीग्राफ विभाग के रिकॉर्ड से संकेत मिलता है कि 24 मई 2021 को केंद्र सरकार पर सेवा लागू की गई थी। हालांकि, केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि यह 1 जून 2021 को संबंधित धारा में प्राप्त हुआ था।

53 1988 सप. एससीसी 538,540, पैरा 3 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

42. 2 जून 2021 को केंद्र सरकार ने पैरा-वाइज की मांग की

निरोधक प्राधिकारी की टिप्पणी। जिला मजिस्ट्रेट 10 जून 2021 को अग्रेषित टिप्पणियां जो 11 जून 2021 को प्राप्त हुईं। जिला मजिस्ट्रेट की टिप्पणियों के साथ 18 मई 2021 को अपीलार्थी द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर 14 जून 2021 को केंद्रीय गृह सचिव द्वारा विचार किया गया था। 24 जून 2021 को, केंद्रीय गृह सचिव ने अपीलार्थी के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया, जिसे कथित तौर पर एक वायरलेस द्वारा संप्रेषित किया गया था।

28 जून 2021 को बंदी को संदेश। वहाँ एक-और-आधा था

केंद्र सरकार की ओर से 18 मई 2021 के अभ्यावेदन पर विचार करने में एक महीने की देरी और केवल 24 जून 2021 को इसे अस्वीकार कर दिया गया।

43. अपीलार्थी ने इसके विरुद्ध अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया था

18 मई 2021 को राज्य सरकार को निरोध का आदेश। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 12 अगस्त 2021 को उच्च न्यायालय के समक्ष एक अतिरिक्त जवाब दायर किया गया था। जवाब का पैराग्राफ 2 नीचे दिया गया है:

" 2 कि यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांकित आक्षेपित आदेश के विरुद्ध

11.05.2021 , याचिकाकर्ता सरबजीत सिंह मोखा ने प्रस्तुत किया

18.05.201 (अनुलग्नक आर. आई.) पर प्रतिनिधित्व। आईपी.) अमरजीत के माध्यम से

जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार और के समक्ष मोखा केंद्र सरकार। विद्वान जिला मजिस्ट्रेट

प्रतिनिधित्व प्राप्त किया और उसी को संप्रेषित किया

सचिव, गृह विभाग, सरकार को। एम. पी. और से

सचिव, गृह मंत्रालय, सरकार। भारत की ओर से 20.05.2021. यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि विचार के बाद

जिला मजिस्ट्रेट की टिप्पणियों के साथ-साथ सलाहकार बोर्ड द्वारा लिया गया दिनांक 29.06.2021 का निर्णय,

और उसके बाद राज्य सरकार ने भी खारिज कर दिया

राज्य सरकार को इसके साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न किया गया है। आर-11 "।

(जोर दिया गया)

44. उपरोक्त उद्धरण से यह स्पष्ट होता है कि जिला

मजिस्ट्रेट को 18 मई 2021 को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, 20 मई 2021 को इसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सूचित किया। सलाहकार मंडल के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया। उपरोक्त साराबजीत सिंह मोखा v से लिया गया है।

जिला मैजिस्ट्रेट, जबलपुर और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

15 जून 2021 को सलाहकार बोर्ड द्वारा, राज्य सरकार द्वारा 18 मई 2021 को अपीलार्थी के अभ्यावेदन से निपटने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे। इस न्यायालय के समक्ष जिला मजिस्ट्रेट के जवाबी-हलफनामे के साथ-साथ ए. ए. जी. द्वारा प्रदान की गई लिखित दलीलों में, यह प्रतीत होता है कि 15 जुलाई 2021 को राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया गया था। हालाँकि, इस न्यायालय को न तो इस तरह की अस्वीकृति की प्रति या बंदी को इस अस्वीकृति के संचार का प्रमाण प्रदान किया गया है, न ही अपीलार्थी के प्रतिनिधित्व पर विचार करने में लगभग 60 दिनों की देरी के लिए स्पष्टीकरण दिया गया है।

45. सलाहकार बोर्ड द्वारा 15 जून 2021 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद तक राज्य सरकार द्वारा 18 मई 2021 के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया था। जैसा कि हमने इस न्यायालय के उदाहरणों के आधार पर संकेत दिया है, राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व पर विचार सलाहकार बोर्ड के संदर्भ से गुणात्मक रूप से अलग है। इस न्यायालय, अंकित अशोक जालान (उपरोक्त) ने अभिनिर्धारित किया था कि राज्य सरकार अभ्यावेदन पर निर्णय लेने से पहले सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य नहीं है और इसे यथासंभव शीघ्रता से किया जाना चाहिए। सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति की प्रतीक्षा के बावजूद, जो अंततः 15 जून 2021 को जारी की गई थी, राज्य ने

सरकार को 18 मई 2021 को अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर निर्णय पर पहुंचने में एक और महीना लगा। राज्य सरकार

कार्रवाई के दोनों पाठ्यक्रमों में से किसी के लिए कोई वैध कारण प्रस्तुत नहीं किया।

46. प्रतिनिधित्व पर अपने निर्णय में देरी करके, राज्य सरकार ने निरोध को उस मूल्यवान अधिकार से वंचित कर दिया जो प्रतिनिधित्व पर शीघ्रता से विचार करने के लिए धारा 8 (1) के प्रावधानों से उत्पन्न होता है। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को "जितनी जल्दी हो सके" हिरासत के आधारों के बारे में सूचित करना और हिरासत में लिए गए व्यक्ति को जल्द से जल्द हिरासत में लेने का अवसर देना।

उपयुक्त सरकार को निरोध के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व पर उपयुक्त सरकार द्वारा तत्काल भावना के साथ विचार किया जाए। राज्य सरकार ऐसा करने में विफल रही। सलाहकार बोर्ड को संदर्भ देने से राज्य सरकार को जल्द से जल्द प्रतिनिधित्व के साथ स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं करने का कोई औचित्य नहीं मिल सकता था। राज्य सरकार द्वारा [2021] 11 एस. सी. आर. के निपटारे में देरी।

इस तरह की अस्वीकृति को संप्रेषित करने में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व, बंदी को दिए गए प्रक्रियात्मक अधिकारों और गारंटी के केंद्र में हमला करता है। यह समझना आवश्यक है कि कानून एनएसए के तहत कार्यपालिका को दी गई व्यापक शक्तियों को संतुलित करने के लिए इस तरह के प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का प्रावधान करता है। राज्य सरकार यह उम्मीद नहीं कर सकती कि यह न्यायालय किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए व्यक्तिपरक संतुष्टि की अपनी शक्तियों को बनाए रखेगा, जबकि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की प्रक्रियात्मक गारंटी का उल्लंघन करता है। संविधान में निहित निवारक निरोध के कानूनों के लिए मौलिक।

D. 2 प्रतिनिधित्व पर निर्णय को संप्रेषित करने में विफलता

अस्वीकृति के बारे में अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी 24 जून 2021 को केंद्र सरकार द्वारा अभ्यावेदन की अस्वीकृति की अपीलार्थी की प्राप्ति का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से राज्य सरकार के गृह विभाग को 28 जून 2021 को जारी किए गए वायरलेस संदेश में बंदी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन की अस्वीकृति के बारे में सूचित किया गया था। जबलपुर की केंद्रीय जेल के एस. पी. को एक प्रति देने का निर्देश दिया गया था बंदी के लिए। राज्य सरकार को हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सूचित करने का भी निर्देश दिया गया था। हालाँकि मूल रूप से दायर की गई रिट याचिका में ऐसा कोई विशिष्ट आधार नहीं था कि अभ्यावेदन की अस्वीकृति नहीं थी

बंदी को सूचित किया गया, उच्च न्यायालय के समक्ष दायर प्रत्युत्तर में उस प्रभाव का एक विशिष्ट आधार उठाया गया था। चाहे जो भी हो, यह इंगित करने के लिए तत्काल कोई सामग्री नहीं आ रही है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति को बंदी को सूचित किया गया था। अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया है कि उसे केंद्र सरकार द्वारा उसके प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति के बारे में केवल तभी सूचित किया गया था जब इस तरह की अस्वीकृति को केंद्र सरकार के काउंटर पर एक अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

उच्च न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र। केंद्र सरकार के 28 जून 2021 के वायरलेस संदेश ने एसपी को अपीलार्थी की रसीद की पावती एकत्र करने का निर्देश दिया। हालाँकि, उत्तरदाता इस तरह की स्वीकृति का कोई सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ थे। यह अपीलार्थी के इस तर्क को विश्वसनीयता प्रदान करता है कि उन्हें केंद्र सरकार द्वारा उनके प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति की प्रति कभी नहीं दी गई थी।

48. इसी तरह, ए. ए. जी. ने प्रस्तुत किया है कि राज्य सरकार ने 15 जुलाई 2021 को अपीलार्थी के प्रतिनिधित्व को खारिज कर दिया।

हालांकि, सरबजीत सिंह के साथ मोखा वी। जिला मैजिस्ट्रेट, जबलपुर और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थियों के अतिरिक्त उत्तर के अनुलग्नकों का एक भाग बनाने वाले अस्वीकृति आदेश के अपवाद के अलावा, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अपीलार्थी को उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिट याचिका दायर करने से पहले राज्य या केंद्र सरकार द्वारा उसके प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति की जानकारी थी।

49. अनुच्छेद 22 (4), प्रतिनिधित्व करने के अधिकार की गारंटी देने में

बंदी के लिए, स्पष्ट रूप से इस अधिकार को सार्थक बनाने के लिए राज्य तंत्र पर एक संबंधित कर्तव्य बनाता है। निर्णय की धारा डी. 1 में, हमने हिरासत में लिए गए व्यक्ति के अभ्यावेदन करने के अधिकार पर इस न्यायालय की स्थापित मिसाल का विस्तार से उल्लेख किया है और इसे शीघ्रता से माना जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर निरोध आदेश अमान्य हो जाएगा। हालाँकि, यह अधिकार अपने प्रतिनिधित्व की स्थिति पर उपयुक्त सरकार से समय पर संचार प्राप्त करने के लिए बंदी के आनुषंगिक अधिकार के बिना खोखला हो जाएगा-चाहे वह स्वीकृति हो या अस्वीकृति।

50. यह न्यायालय, उचित में देरी के दावों पर विचार करते हुए

एक बंदी के प्रतिनिधित्व के साथ सरकार के व्यवहार में, इस तरह की अस्वीकृति के संचार में देरी शामिल है। पंजाब राज्य बनाम में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ। सुखपाल सिंह 3 4 ने कहा था कि इस तरह की देरी बंदी के संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन का एक हिस्सा है।

अनुच्छेद 22 (4) के तहत। न्यायमूर्ति के एन सैकिया ने इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा थाः

" 19. तत्काल मामले में हम संतुष्ट हैं कि प्राप्ति के बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार से ज़ेरॉक्स प्रति

4 छुट्टियों सहित केवल 13 दिन लगे

प्रतिनिधित्व। वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए और

इस मामले में आवश्यक परामर्श, राज्य सरकार कर सकती है

मामले में तात्कालिकता की परवाह नहीं की गई है। लेकिन तथ्य

कि तारीख से दो महीने से अधिक समय लगा सूचना देने की तारीख तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना

उनके प्रतिनिधित्व के परिणाम का निरोध। आठ दिन राज्य द्वारा प्रतिनिधित्व के निपटारे के बाद लिया गया था

उनके प्रतिनिधित्व के त्वरित निपटान के अधिकार से इनकार कर दिया गया था और कानूनी परिणामों का पालन करना चाहिए।

(जोर दिया गया)

51. इसी तरह, मदन लाल आनंद मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने

भारत में दो दिन की देरी के लिए एक स्पष्टीकरण माना जाता है

निरोधकों का निर्धारण करने में निरोधकों को प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति या निरोध प्राधिकारी की ओर से लापरवाही। इसमें उल्लेख किया गया है:

" 37. इस अपील की सुनवाई में, विद्वान वकील उत्तरदाताओं ने हमें तारीखों की एक सूची सौंपी जो दर्शाती है कि कई छुट्टियों ने एक तारीख और दूसरी तारीख के बीच हस्तक्षेप किया और इसलिए स्पष्ट देरी हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कलेक्टर

& सीमा शुल्क को उनकी टिप्पणियों के लिए प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ

23 जनवरी, 1989 को और 24 जनवरी, 1989 को टिप्पणियों के लिए इसे सौदा करने वाले अधिकारी को सौंप दिया गया और 9 फरवरी, 1989 को कलेक्टर की टिप्पणी की गई। 25 जनवरी, 1989 और 8 फरवरी, 1989 के बीच कई अवकाश आए, जैसे 26 जनवरी, 1989 (गणतंत्र दिवस), 28 जनवरी, 1989 और 29 जनवरी, 1989 (शनिवार और रविवार), और 4 फरवरी, 1989 और 5 फरवरी, 1989 (शनिवार और रविवार)। 9 फरवरी, 1989 को इसे वित्त मंत्रालय (कोफेपोसा प्रकोष्ठ), नई दिल्ली को भेजा गया था।

10 फरवरी, 1989 को उस मंत्रालय द्वारा प्राप्त किया गया। 11 फरवरी, 1989 और 12 फरवरी, 1989 को शनिवार और रविवार को अवकाश था। 13 फरवरी, 1989 को इसे संयुक्त सचिव, कोफेपोसा के समक्ष रखा गया और राज्य मंत्री को भेजा गया। (राजस्व)। अस्वीकार किए जाने के बाद फाइल वापस प्राप्त की गई थी

प्रतिनिधित्व और इस तरह की अस्वीकृति को सूचित किया गया था

20 फरवरी, 1989 को हिरासत में लिया गया। दोनों का हस्तक्षेप

तिथियाँ, अर्थात् 18 फरवरी, 1989 और 19 फरवरी, 1989

शनि आ रविदिन छुट्टी छल।

38. उपरोक्त कथन से यह स्पष्ट है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व से निपटने में हिरासत प्राधिकरण या अन्य संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई लापरवाही या लापरवाही नहीं की गई थी। एल. एम. एस. उम्मू सलीमा बनाम। बी. बी. गुजराल [(1981) 3 एससीसी 317: 1981 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 720] यह देखा गया है कि अनिवार्य समय कभी भी निरपेक्ष या जुनूनी नहीं हो सकता है, और यह कि

इस न्यायालय द्वारा की गई सामयिक टिप्पणियाँ कि प्रत्येक

प्रतिनिधित्व से निपटने में दिन की देरी होनी चाहिए

पर्याप्त रूप से समझाया गया अभियान पर जोर देने के लिए है

जिसके साथ प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाना चाहिए और नहीं

-0) 1 एस. सी. सी. 81 सरबजीत सिंह मोखा बनाम जिला मैजिस्ट्रेट, जबलपुर और ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

कि यह एक जादुई सूत्र है, जिसका थोड़ा सा भी उल्लंघन है

इसके परिणामस्वरूप बंदी को रिहा किया जाना चाहिए। तत्काल मामले में,

निरोध प्राधिकरण ने निपटान में देरी की व्याख्या की है

बंदी द्वारा किया गया अभ्यावेदन और तदनुसार, आदेश उस आधार पर निरोध को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

52. इस बिंदु पर यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि यह

भारत संघ में न्यायालय बनाम। सलीना ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने वाले आदेश के गैर-संचार से निरोध के आदेश को अमान्य या दूषित कर दिया जाएगा। उस मामले के तथ्यों में, हालांकि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने वाले सक्षम प्राधिकारी के आदेश को उन्हें सूचित नहीं किया गया था, लेकिन अवर सचिव ने हिरासत में लिए गए व्यक्ति को निर्णय के परिणाम के बारे में सूचित किया था। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22 (5) के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने वाले आदेश के संचार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को संचार के आदेश में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। सलीना (ऊपर) के गुणों पर टिप्पणी किए बिना, हम ध्यान देते हैं कि निर्णय तैयार किए गए मुद्दे तक सीमित था जो इस बात से संबंधित है कि क्या प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने वाले आदेश को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से बंदी को सूचित किया जाना चाहिए।

53. वर्तमान मामले में, आदेश को अस्वीकार करने की बात तो छोड़िए

अभ्यावेदन, यहां तक कि अभ्यावेदन का परिणाम, चाहे वह अस्वीकार कर दिया गया हो या नहीं, अपीलार्थी को सूचित नहीं किया गया था। इस प्रकार, सलीना (ऊपर) में निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होता है।

54. ए. ए. जी. ने विफलता का कोई कारण नहीं बताया है

राज्य सरकार या केंद्र सरकार की अस्वीकृति को सूचित करें

अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति के समय पर संचार में यह विफलता उस देरी को निर्धारित करने के लिए एक प्रासंगिक कारक है जिसके खिलाफ बंदी को अनुच्छेद 22 (5) के तहत संरक्षित किया गया है। इस न्यायालय के उदाहरणों के आधार पर, हम मानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की अपीलार्थी के प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति को समयबद्ध तरीके से सूचित करने में विफलता निरोध के आदेश को दूषित करने के लिए पर्याप्त है।

ई निष्कर्ष

55. तदनुसार, निरोध का आदेश दो आधारों पर अमान्य हैः पहला, अपीलार्थी के प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने में राज्य सरकार की ओर से अस्पष्टीकृत देरी और दूसरा,

विस्तार जो 15 जुलाई 2021 और 30 सितंबर 2021 को जारी किए गए हैं, उनकी उत्पत्ति 11 मई 2021 के निरोध के मूल क्रम में पाई जाती है। एक बार जब निरोध का आदेश अमान्य हो जाता है, तो परिणामी विस्तार उसी पाठ्यक्रम का पालन करेंगे। कार्यवाही के दौरान, दोनों पक्षों के पास निरोध के आदेश के गुण-दोष पर अग्रिम प्रस्तुतियाँ होती हैं। हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह आवश्यक नहीं है। चुनौती के इन अन्य आधारों पर विचार करना क्योंकि अपीलार्थी संविधान और क़ानून के तहत अपने प्रक्रियात्मक अधिकारों के उल्लंघन पर सफल होने का हकदार है।

56. जिन कारणों का हमने ऊपर उल्लेख किया है, उनके अनुसार अपील की अनुमति है। 24 अगस्त 2021 के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाएगा। निरोध का आदेश दिनांक 11

मई 2021 और 15 जुलाई 2021 और 30 सितंबर 2021 के विस्तार को तदनुसार रद्द कर दिया जाएगा और अलग कर दिया जाएगा।

57. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।